

HP State Pollution Control Board,

Below BCS, Phase-III, New Shimla

No. PCB-OA No. 389/2022- 14381

Dated: 19-10-2022

To

The Registrar General
Hon'ble National Green Tribunal
Faridkot House, Copernicus Marg, New Delhi-110001

Subject: Compliance to Hon'ble NGT's order dated 07.07.2022, passed in O.A. No. 389/2022 titled as Satnam Singh Vs. State of H.P. (ATR of Joint Committee).

Sir,

Please refer to the afore-cited subject-matter related to alleged carving out of road by Sh. Sanjeev Suri through forest land and the land which is jointly owned by him with the applicant, wherein following order dated 07.07.2022 was passed by the Hon'ble NGT:-


".....3. In view of the grievances made in the application, we are of the view that the factual position needs to be verified and remedial action is required to be taken on the basis thereof in case of violation of environmental norms. We accordingly constitute Joint Committee of DFO and Deputy Commissioner, Chamba, Himachal Pradesh and direct the Joint Committee to meet within four weeks, undertake site visits, look into the grievances of the applicant, verify the factual position and take requisite action by following due process of law. The State PCB will be the Nodal agency for coordination and compliance. Factual and action taken report may be furnished within three months by e-mail at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

List the matter for further consideration on 15/11/2022."

In compliance to afore-cited order dated 07.07.2022, the Deputy Commissioner, Chamba has submitted a Factual & Action Taken Report indicating the action taken by the Joint Committee constituted by the Hon'ble NGT comprising of Deputy Commissioner, Chamba and concerned Divisional Forest Officer (DFO). The copy of said Report is annexed at **Annexure R-1** which may kindly be placed on record please.

(Encl: as above)

Yours faithfully,


Apoorv Devgan, IAS
Member Secretary
HPSPCB, Shimla

Government of Himachal Pradesh
Office of the Deputy Commissioner Chamba District Chamba

No. CBA-SK-32(2)92/7-Vol.-VI- 4229 Dated Chamba,

01st October, 2022.

To,

The Member Secretary,
State Pollution Control Board Shimla,
Himachal Pradesh.

Subject: - Reg. Hon'ble NGT's order dated 07-07-2022 passed on O.A No. 389/2022, titled sas Satnam Singh v/s State of H.P.



Sir,

On the above cited subject, I am to refer to your office letter No. PCB-OA 389/2022-5936-38 dated 18-07-2022 vides which the order of Hon'ble National Green Tribunal passed in OA No. 389/2022 was communicated to this office.

In this context, it is submitted that, Sh.Satnam Singh S/O Sh. Barkat Ram R/O Mohalla Julakri of Chamba Town filed a complaint before Hon'ble National Green Tribunal stating that, Sh. Sanjeev Suri has carved out a road in his absence through Forest Land as well as through private land which belongs to the complainant Sh. Satnam Grover. In his complaint it has also been inscribed that repeated requests to Forest Department for taking appropriate action has also been made but no action has been initiated by the Forest Department. On receipt of the complaint, Hon'ble National Green Tribunal ordered to constitute a committee consisting of Deputy Commissioner Chamba and DFO Dalhousie. The committee was further directed to undertake site visits, take appropriate action by following due process of law and send action taken report within three months.

In compliance of ibid orders of Hon'ble NGT, spot visit was fixed by the Deputy Commissioner on 08-08-2022 and on said date the Additional District Magistrate Chamba visited the spot on 8th August, 2022 (as the undersigned was COVID-19 positive at that time) in presence of complainant, defendant and all concerned departments. Both the parties were heard in presence of all concerned departments and their oral statements were taken. The Deputy Commissioner and the Divisional Forest Officer again visited the spot on dated 16-08-2022 along with field Revenue Officials, Officials of Rural Development and Panchayati Raj, both the parties of the dispute and

g
2/10/2022
(9)

1/10/2022

local residents. As the position of road was also not clear on the spot, so the Forest department was directed to produce evidences viz. Satellite imagery of the spot relating to that particular period, to find out that whether the road was carved by said Sh. Sanjeev Suri or it was pre-existing on the spot. Further directions were also issued to Block Development Officer, Chamba and District Revenue Officer, Chamba to submit their respective reports before the undersigned.

A detailed demarcation of land in question was conducted by Naib Tehsildar Chamba which was received through the District Revenue Officer vide office letter No.CBA-SK-032(2)92/7-Voll-VI-3607 dated 18-08-2022 **(Annexure-I)**. The demarcation was done by adopting triangular method of demarcation and it was found that, no road has been carved out through the private land owned by the applicant. The road has been constructed through the forest land classified as "Charagah Bila Drakhtan" existing between the two parcels of private land owned by the applicant Satnam Singh. From the perusal of the Record of Rights, it was also revealed that the private land bearing Khasra No. 1460/1019 and 1461/1019 total measuring 02-09-00 Bigha was initially allotted as Nautor to a local resident Sh. Madho S/O Talochan. The complainant Sh. Satnam Singh purchased the ibid chunk of land from said Madho and forest land of approx. 8 feet 6 inch wide is existing between both these parcels of land.

The statements of both the parties, as well as local residents, present during the joint inspection, copies of statement of local residents are annexure as **(Annexure-II)** were recorded which reveal that the local residents of village Baghnu are using this forest land bearing No. 1463/1019 classified as "Charagah Bila Drakhtan" which lying between two parcels of private land bearing No. 1460/1019 & 1461/1019 owned by the complainant Sh. Satnam Singh as passage to approach their houses since generations. The complainant Sh. Satnam Singh also agreed that at the time when he purchased the said land, there was a narrow passage between these two parcels of land which was being used by the local residents of area to approach their houses.

The Block Development Officer Chamba was also directed to enquire into the matter with regard to construction of road/path in the spot on Khasra No.1463/1019 . He has submitted his report vide his office letter dated 16th August, 2022 **(Annexure-III)** stating therein that the funds to the tune of Rs. 2.00 Lacs were sanctioned to the Gram Panchayat Udaipur under MPLADS for construction of Jeepproad/Link Road from

Village Udaipur to Baghnu during the year 2017-18 which was fully utilized for the purpose. Further an amount of Rs. 03.00 Lac was sanctioned under SDP for the C/O link road from main road Udaipur to Bhagnu but the construction work was not executed due to the dispute on spot. First installment of Rs. 1.50 Lacs which was released to the Gram Panchayat, was also returned and deposited in the office of BDO Chamba. During the course of joint inspection Pradhan, GP Udaipur, stated that the local residents of area have widened and concreted the said road by their own funds collected through contribution. The estimation of work done on the spot in the said road has been made by the office of BDO Chamba which comes to Rs. 5,64,724/-, the detail is enclosed. Therefore an expenditure to the tune of approximate Rs. 5,64,724/- has been made through public contribution.

The Divisional Forest Officer Dalhousie has mentioned in his report dated 17-09-2022, **(Annexure-IV)** that the land lying between the two parcels of private land owned by the complainant is recorded in ownership of Forest Department. This land is classified as "Charagah Bila Drakhtan" and same is not recorded forest i.e. RF, DPF or UPF. It is also not covered under approved working plan of Dalhousie Forest Division. However, the said land falls under the category of waste land and by virtue of H.P. Govt. notification No. Ft-29-241-BB/49 dated 25-02-1952, all waste lands are considered and treated as forest land and attract the provisions of Indian Forest Act, 1927. The local public of the area including that of village Baghnu is using the said land as path to approach their houses since generations. Now it has been widened and concretised by the Gram Panchayat Udaipur in the shape of jeepable road without fulfilling codal formalities. Further it is added that no tree exist on the stretch of Government land where cement concrete road has been constructed. Also google image of year 2017 & 2018 were studied and found that kuccha track/path is visible with scattered bushes where the said road has been constructed and no tree exist over there. The Range Officer Dalhousie vide his office letter No. 548/Dalhousie dated 02/09/2022 has requested SHO Police Station, Sadar Chamba to register a FIR against former Pradhan of Gram Panchayat Udaipur and local habitants involved in widening and concreting the road, as per provisions contained in Indian Forest Act, 1927 and a Damage Report No. 018778 dated 02-09-2022 for amount Rs. 170125 has also been issued. Furthermore it was found on the spot some Government land has been encroached by local inhabitants regarding which encroachment cases have been

instituted vide case no. 01/2022 & 02/2022 under section 163 of Himachal Pradesh Land Revenue Act and the next date of hearing in this matter is on dated 06-10-2022.

Thus, in view of above said facts, it is evident that no private land of complainant has been encroached while constructing the road. However, the road has been constructed through the land classified as "Charagah Bila Drakhtan" owned by the Forest department. It appears that, the local public of the area is using the said forest land, which is situated between both the parcels of the private land owned by the complainant as path/passage to approach their houses since long. Action qua the encroachment has been dealt with by the Forest Department and the Revenue Department under appropriate provisions of law. You are, therefore, requested to apprise the Hon'ble National Green Tribunal accordingly.

Encl. As Above.

Sincerely yours,



Deputy Commissioner,
Chamba District Chamba

No.CBA-SK- 032(2)92/7-Voll-VI- 3607
Office of the Deputy Commissioner Chamba District Chamba (H.P)

To

The Additional District Magistrate
Chamba District Chamba (H.P)

Chamba Dated 18 August 2022

Subject: - Reg. Hon'ble NGT's order dated 07-07-2022 passed in O.A. No. 389/2022, titled as Satnam Singh vs. State of H.P.

Sir,

On the subject cited above, I am enclosing herewith the Demarcation report of Nautor land khasra number 1460/1019, 1461/1019 and Govt. land khasra number 1463/1019 of mauza and pargna Udaipur Tehsil and District Chamba conducted by Naib Tehsildar Chamba District Chamba dated 16-08-2022 along with estimation report submitted by BDO Chamba for favor of information and further necessary action please.


District Revenue Officer
Chamba District Chamba

संख्या-तहसील-रीडर-चम्बा- 43 दिनांक 17-08-2022
कार्यालय नायब तहसीलदार तहसील सदर चम्बा जिला चम्बा हि.प्र.

सेवा में,

श्रीमान उपायुक्त महोदय चम्बा,
जिला चम्बा हि.प्र. ।

विषय:- Reg. Hon'ble NGT's order dated 07-07-2022 passed in O.A No. 389/2022,
titled as Satnam Singh vs. State of H.P.

महोदय,

निवेदन है कि आमदा आदेश संख्या/CBA-SK-0323(2)92/7-Voll-VI-3580-81
दिनांक 11-08-2022 कार्यालय उपायुक्त महोदय चम्बा की पालना में विषय उपरोक्त बारा
आवेदन प्राप्त हुआ जिसकी अनुपालना में वादी सतनाम सिंह तथा वन विभाग वन-मण्डल
डल्होजी को वरूये इतलाहनामा दिनांक 16-08-2022 मौका निशानदेही हेतू सूचित करवाया
गया ।

ब्राये निशानदेही खसरा नम्बर 1460/1019, 1461/1019 तथा 1463/1019
सत्यापित छाया-प्रति परत सरकार ईन्तकाल नम्बर 488 अताए नौतोड़ छायाप्रति मुसाबी
खसरा नम्बर 1019 व इर्द-गिर्द के खसरा नम्बरॉन, नकल जमाबन्दी खाता 512 मिन/577
मिन खसरा नम्बर 1460/1019 जमाबन्दी वर्ष 2018-19 लफ मूल मिसल किए गए ।

दिनांक 16-08-2022 को हमरा क्षेत्रीय कानूनगो वृत साच व पटवारी पटवार
वृत उदयपुर, राजस्व रिकार्ड महाल उदयपुर, जरीब व पैमाना के ब्राये मौका निशानदेही मकाम
बाघणू महाल उदयपुर पहुंचा । मौका पर वादी सतनाम सिंह, वन अधिकारी/कर्मचारी
वनमण्डल डल्हौजी तथा बाशिन्दगान देह हाजिर मौका पाए ।

मौका पर ईन्तकाल नम्बर 488 अताए नौतोड़ खसरा नम्बर 1460/1019 परत सरकार के करुकान का मिलान परत पटवार के ईन्तकाल से किया गया । मिलान दरुस्त पाया गया । मौका निशानदेही त्रिकोण-मितीय प्रणाली द्वारा हि. प्र. वितायुक्त महोदय के निर्देशानुसार अमल में लाई गई ।

सर्वप्रथम हाजरीन समस्त को जरीब की सेहत/जांच बजरिया फीता व पैमाना की गई। जरीब लम्बाई स्थानीय इकाई अनुसार 23'x 4''(फुटxईंच) पाई गई। जिसे समस्त हाजरीन ने सही व दरुस्त तसब्बर किया। द्वाये मौका निशानदेही खसरा उपरोक्त पक्के बन्नाजात की तलाश की गई। चांदाजात, मन्दिर, तालाब, गैर मुमकिन रास्ता आदि मुस्तकिल बन्दोबस्ती बिन्दु विवादित स्थल के नजदीक न पाए गए।

बाशिन्दगान देह हाजरीन ने खसरा नम्बर 991, 992 ,993 व 994 को यथास्थिति बन्दोबस्ती बताया । जिसकी जांच मौका कब्जा व रिकार्ड राजस्व हाजरीन के की गई। खसरा नम्बर 991 मलकियत चैन लाल पुत्र जलो राम खसरा नम्बर 992 मलकियत सिखो आदि, खसरा नम्बर 993 मलकियत कुलदीप सिंह आदि खसरा नम्बर 994 मलकियत हरीश चन्द्र आदि पाई गई। मौका मुस्तकिल बन्नाजात के बारा मालकान/काश्तकारान व बाशिन्दगान देह के ब्यान कलमबन्द किए गए, जो लफ हजा है ।

खसरा नम्बर 992 का चौमिण्डा बजरिया जरीब पैमाईश किया गया। मौका व रिकार्ड 8+6+6+7+13+8 करम मापा गया। खसरा नम्बर 994 का चौमिण्डा पैमाईश किया गया मौका व रिकार्ड राजस्व 5+6+6+6+9+6+9+6+4+10+13 करम मापा गया। खसरा नम्बर 992 की बतरफ उत्तरी-पश्चिमी भुजा जो खसरा नम्बर 994 के बतरफ दक्षिण-पश्चिम बिन्दू तक जाती है, तथा मुताबिक रिकार्ड राजस्व 9+6 करम अंकित है। मौका पर सही व दरुस्त मिलान पाई गई। खसरा नम्बर 994 व 990 बन्दोबस्ती की मध्यवर्ती भुजा जो मुताबिक रिकार्ड 9

करम अंकित है। मौका पर बन्दोबस्ती बीड बन्नाजात के रूप में मौजूद पाई। जिसकी पैमाइश की गई दरुस्त मिलान होना पाया गया।

अतः खसरा नम्बर 994 व 990 की मध्यवर्ती भुजा के दक्षिण मिलान भुजा को बिन्दु "A" माना गया। बिन्दु "A" से बतरफ पूर्व 6+9 करम पैमाइश की गई। जिस बिन्दु पर खसरा नम्बर 993 समाप्त व खसरा नम्बर 992 शुरू होना पाया गया ।

खसरा नम्बर 992 की उत्तरी भुजा को बजरिया जरीब 6+6+6 करम पूर्वी भुजा को 8 करम पैमाइश किया गया। जिस बिन्दु पर मुताबिक मौका व रिकार्ड के खसरा नम्बर 992 समाप्त होना पाया गया। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए खसरा नम्बर 991 की पूर्वी भुजा को बतरफ दक्षिण 4 करम पैमाइश किया गया। दरुस्त मिलान मौका व रिकार्ड पाया गया। जिसे हाजरीन समस्त ने सही व दरुस्त माना। अतः खसरा नम्बर 991 के बतरफ दक्षिण-पूर्वी अंतिम बिन्दु को बिन्दु "B" माना गया। बिन्दु "A" से बिन्दु "B" के बीच बजरिया जरीब बतर डालकर पैमाइश की गई, फासला 38 करम पाया गया। जिसका मिलान छायाप्रति मुसाबी बजरिया पैमाना किया गया। दरुस्त मिलान होना पाया गया। जिसे हाजरीन समस्त ने सही व दरुस्त तसब्बर किया।

बिन्दु "B" से खसरा नम्बर 991,992,994,995,998,1017 की पूर्वी भुजा को बतरफ उत्तर पैमाइश किया गया। जोकि 4+8+6+5+8+4+4+30 करम मौका व रिकार्ड राजस्व पाई गई। जिसमें समस्त खसरा नम्बरान 991,992,994,995,998 व 1017 के करुकान मुताबिक रिकार्ड सही व दरुस्त पाए गए। खसरा नम्बर 998 का चौमिण्डा बजरिया जरीब पैमाइश किया गया मुताबिक मौका, रिकार्ड राजस्व व मौका कब्जा के अनुसार दरुस्त मिलान होना पाया गया। अतः खसरा नम्बर 998 व 1017 के बतरफ पूर्वी अंतिम बिन्दु जो 4 तथा 30 करम से आपस में मिलता है को बिन्दु "C" माना गया।

बिन्दू "A" से "C" तक व बिन्दू "B" से "C" तक बतर डालकर बजरिया जरीब मौका पैमाइश की गई। बिन्दू "A" से "C" तक 35 करम व बिन्दू "B" से "C" तक 39 करम फासला पाया गया। जिसका मिलान रिकार्ड राजस्व बजरिया पैमाना किया गया। दरुस्त मिलान होना पाया गया। जिसे हाजरीन ने सही व दरुस्त माना।

बिन्दू "B" से खसरा नम्बर 1460/1019 को बतरफ उत्तर-पूर्व 12 करम बतरफ उत्तर 26+18+14 करम बतरफ पश्चिम 5 करम बतरफ दक्षिण 30 करम पैमाइश की गई। जिसका मिलान बिन्दू "C" से दरुस्त होना पाया गया। प्रत्येक कोनाजात से बजरिया जरीब बतर डालकर मौका तसल्ली की गई। मौका व रिकार्ड के फसला दरुस्त होना पाया गया। जिसे हाजरीन समस्त सही व दरुस्त तसब्बर किया। खसरा नम्बर 1460/1019 के प्रत्येक कोनाजात पर निशान पत्थर व सफेदी लगवाकर हाजरीन समस्त को बताया व समझाया गया।

खसरा नम्बर 1460/1019 के बतरफ उत्तरी-पूर्वी बिन्दू से खसरा नम्बर 1461/1019 के उत्तर-पश्चिमी बिन्दू को कायम किया गया। बजरिया पैमाना इन्तकाल नम्बर 488 ततीमा के अनुसार फासला मापा गया। जोकि 6 करम पाया गया। जिसकी पुष्टि खसरा नम्बर 1017 के उत्तर-पूर्वी बिन्दू से की गई। फासला 8 करम दरुस्त मिलान होना पाया गया। खसरा नम्बर 1460/1019 व 1461/1019 के बीच मुताबिक रिकार्ड 2 करम सरकारी भूमि चरागाह बिला द्रख्तान है। जिसे मौका पर पैमाइश करके समस्त हाजरीन को बताया व दिखाया गया।

खसरा नम्बर 1461/1019 के बतरफ उत्तर-पश्चिमी बिन्दू से बतरफ पूर्व 8 करम बतरफ दक्षिण 35+17 करम बतरफ पश्चिम 10 करम बतरफ उत्तर 18+20 करम पैमाइश की गई। प्रत्येक कोनाजात से बजरिया जरीब बतर डालकर खेत की चौड़ाई बारा

तसल्ली की गई। रिकार्ड व मौका के दरुस्त मिलान होना पाया गया। जिसे हाजरीन ने सही व दरुस्त माना। बिन्दू "B" से खसरा नम्बर 1461/1019 के बतरफ दक्षिण-पश्चिम बिन्दू को बजरिया जरीब बतर डाला गया। फासला मुताबिक रिकार्ड व मौका के 32 करम पाया गया।

बिन्दू "C" से खसरा नम्बर 1461/1019 के उत्तरी भुजा के दोनो बिन्दुओं को बजरिया जरीब बतर डाला गया। फासला 36 करम व 40 करम पाया गया। जिसे हाजरीन ने सही व दरुस्त माना। त्राये पैमाइश खसरा नम्बर 1463/1019 बिन्दू "C" से बतरफ उत्तर $30+2+2+6+8$ करम, बतरफ पूर्व 27 करम, बतरफ दक्षिण $35+17+6+14+3+6+3+3+11+15+10$ करम पैमाइश की गई तथा बिन्दू "B" से खसरा नम्बर 1463/1019 को बतरफ दक्षिण $8+7+6+9+10$ करम पैमाइश की गई। प्रत्येक कोनाजात पर निशान पत्थर व सफेदी लगवाकर हाजरीन को बताया व समझाया गया। मौका पैमाइश को समस्त हाजरीन ने सही व दरुस्त तसब्बर किया।


बरवक्त निशानदेही खसरा नम्बर 1463/1019 पाया गया कि खसरा नम्बर 1463/1019 मालिक सरकार हिमाचल प्रदेश मकबूजा मालिक व बर्तनदारान मुताबिक नक्शाबर्तन की भूमि पर एक अदद सड़क तथा एक अदद मकान पक्का लैंटरपोश पाया गया। मौका पर लैंटरपोश मकान श्रीमति निर्मला पत्नी चैनलाल निवासी बाघणू द्वारा बनाया तस्दीक हुआ। जिसकी मिसल नाजायज कब्जा क्षेत्रीय राजस्व इकाई द्वारा तैयार की जाकर तहसील कार्यालय में प्राप्त हो चुकी है। मुताबिक मौका खसरा नम्बर 1463/1019 में मुख्य सड़क NH-154-A से खसरा नम्बर 1020 तक सरकार हिमाचल प्रदेश मकबूजा मालिक व बर्तनदारान मुताबिक नक्शाबर्तन की भूमि गैर मुमकिन सड़क बनी है। जिसका अधिकांश भाग बजरीयुक्त व आंशिक भाग कच्चा है। समस्त हाजरीन ने मौका निशानदेही को सही व दरुस्त माना । बाद निशानदेही समस्त हाजरीन के ब्यान कलमबन्द किए गए जोकि लफ हजा हैं।

निष्कर्ष : मुताबिक आदेश माननीय उपायुक्त महोदय चम्बा की अनुपालना में मौका पर खसरा नम्बर 1460/1019, 1461/1019 की निशानदेही बजरिया जरीब की गई। खसरा नम्बर 1463/1019 की निशानदेही विवादित स्थल तक की गई। मौका निशानदेही मुस्तकिल बिन्दुओं से त्रिकोणमितीय प्रणाली द्वारा हाजरीन वादी, वाशिन्दगान देह व वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति में अमल में लाई गई। बरवक्त मौका निशानदेही खसरा नम्बर 1460/1019, 1461/1019 व 1463/1019 किता 3 की बाह्य सीमा पर निशान पत्थर व सफेदी लगाकर हाजरीन समस्त को बताया व समझाया गया। मौका निशानदेही को समस्त हाजरीन ने सही व दरुस्त तसब्बर किया। खसरा नम्बर 1463/1019 में मुख्य मार्ग NH-154-A से खसरा नम्बर 1020 तक सरकारी भूमि में गैर मुमकिन सड़क मौका पाई गई तथा एक अदद गैर मुमकिन मकान लेंटरपोश पाया गया। मकान निर्मला पत्नी चैनलाल निवासी बाधणू का तस्दीक होना पाया गया, जिसकी मिसल नाजायज कब्जा क्षेत्रीय राजस्व इकाई द्वारा तैयार की जाकर तहसील कार्यालय में प्राप्त हो चुकी है। समस्त हाजरीन ने मौका निशानदेही को सही व दरुस्त माना। बाद निशानदेही समस्त हाजरीन के ब्यान कलमबन्द किए गए जोकि लफ हजा हैं।

अतः मूल आवेदन निशानदेही रिपोर्ट सहित महोदय की सेवा में पेश है।

सलंगन:-ब्यान वाशिन्दगानदेह (पाअददपृष्ठ)

भवदीय,



नायब तहसीलदार
तहसील सदर चम्बा
जिला चम्बा हि.प्र.

छथान श्री सतनाम सिंह पुत्र बरकतराम गाँव/मुहल्ला जुल्लाहपुर तहसील
के जिला चम्बा व उम्र 60 वर्ष

छथान किया कि आज दिनांक 16-08-2022 को भीमान नाथवर
तहसीलके महोदय चम्बा के राजस्व इकाई राजस्व बिक्री सौदा
व्यवसाय लाक्षण जाये मौका निशानदेही रकमा नम्बर 1460/1019
1461/1019, 1463/1019 किला 03 रकमा 10-02-00 बीघा महाल उदयपुर
आए। तथा लन्दोवानी मुस्ताकिल-बन्नामान के उपोत्त
रकमा की मौका निशानदेही की। मौका पर वनी सड़क का
संपुर्ण निरक्षण उपायुक्त महोदय चम्बा की अध्यक्षता में
विभिन्न विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा मौका पर किया
गया।

छथान किया कि जब मैंने रकमा नम्बर 1460/1019 के 1461/1019 रकमा
02-09-00 बीघा जमीन खरीद की थी। उस समय मौका पर कोई
भी सड़क नहीं थी। मात्र एक छोटा रास्ता/पगडोरी थी। जिससे
स्वास्थ्य लोग आते-जाते थे। पगडोरी/रास्ता इतना संकीर्ण था
कि मात्र एक-दो सदाथ का आना-जाना हो सकता था।
दो-तीन वर्ष के अन्ताल में संजीव सूरी जिसने सड़क
भवन बना रखा है ने जबरदस्ती मौका पर संकीर्ण पगडोरी को
बड़ा/चौड़ा करके बंगरी डालकर चम्बा बना दिया है जिसके
कारण मैंने समय-2 पर वन-विभाग को भी शिकायत
करता रहा। लेकिन वन-विभाग ने इस कार्य को रोकने का
कोई कार्यवाही नहीं की। वन-विभाग को कहना था कि
मौका पर बनाई गई सड़क/रास्ता चाणगाह जिला (पान्नान में)
शुद्ध है।

छथान किया कि मौका पर मेरी जमीन मालकीयता के बीच जो
रास्ता/पगडोरी खुद है जो वही उसी रूप में होनी चाहिए।
तथा मौका पर वनी सड़क/रास्ता जो बंगरी डालकर
चम्बा बनाया गया है को हटा दिया जावे।

सौका पर कोई गद्दी निशान नहीं है। मेरा कोई भी उज्जर व
शतलज नहीं है। मैंने अपनी सजकीयता जमीन को देखा
लिया है। वस मेरा यही ज्ञान है। ज्ञान यह सुन व समझ
लिया। जिसे लक्ष्य व दक्षता माना।

Attested

16/08/2022

R. O. P. A. P.

16/8/2022

1. व्याज भती मनोज कुमार वनरक्षक अधिकारी पन्ने 5 वन मंडल इन्डोजी जिला चम्बा
2. " " दीरज कुमार वनरक्षक मनोवा की " " " "
3. " " गजेन्द्र कुमार " उदमपुर की " " " "
4. " " राहुल मेरा " " सिंगी की " " " "
5. " " हितेन्द्र बरालवाम पटवारी वन मंडल इन्डोजी " " " "

मुशारफा व्याज किया कि आज दिनांक 16.08.2022 को जॉय मौका निशानदेही खसरा नम्बर 1460/1019, 1461/1019, 1463/1019 किता 03 खसरा बचकर 10-02-10 वीचा मुताबिक आदेश संख्या - CBA-SK-032(2)92/7-VIII-VI 3580-81 जिला राजा-9 अधिकारी जिला चम्बा के राजा-9 अकारि महान उदमपुर, जरीब व पैमाना सोहत जमकाय काबू आर/ तथा मौका पर भोजान नाथ तहसीलदार महोदय चम्बा ने जगदिया जरीब मुताबिक खन्दीबानी खन्नाजात के खसरा उपरोक्त खसरा 10-02-10 वीचा को मौका निशानदेही की मौका पर समान खसरा की खसरा सीमा को चिन्हित कार्य परके निशान पक्का लक्ष्य कर जताया व दिखाया गया/ जिसे हमने देखा लिया है मौका निशानदेही द्वारा हमारा कोई भी ऊपर व खताप नहीं है जब हमारा यही व्याज है व्याज सुन व समर्थ लिया/ जिसे लही व दस्तावेज कर किया

R'oude.

1. Area Forest Block officer Chamed.
2. purified 11/Chuneta Beat.
3. Group Forest Officer beat
4. Rahul Meera I/c Singi Beat
5. H3g/1019
Part 1/16/8/22

Attested
16/8/22

ध्यान भी करतारसिंह पुत्र चन्द लाल गाँव बाधणू (उदयपुर) तहसील नम्बर 6 अगु 61 वर्ष
 " " अमरसिंह " जलौराम " " " " " 55 वर्ष
 " भीमसिंह निमलादेवी प्रधान महिला गण्डम " " " " " 60 वर्ष

मुश्तकरका ध्यान किया कि आज दिनांक 16-08-2022 को गोमान
 नाथक तहसीलदार महोदय चम्बा व हमरा क्षेत्रीय कानूनगोष्ठ परवारा
 घुल उदयपुर जाये मौका निशानदेही खसरा नम्बर 1460/1019
 1461/1019 व 1463/1019 किताना 03 रकबा 10-02-00 बीघा वसुधा गहल
 उदयपुर बमकाम बाधणू आर। तथा बन्दोबस्ती मुस्तकिल बन्नागत
 से हर-एक खेत चामिण्डा पैमार्श काले प्रिमुप प्रणाली है रकबा
 उपोक्त की मौका निशानदेही को। मुस्तकिल बन्नागत को हमने
 देख लिया है। प्रत्येक खेत की बीड़ बन्दोबस्ती यथावत मौजूद है।
 खसरा नम्बर 991, 992, 994 के प्रत्येक कोनागत को पैमार्श काले
 बिन्दू ABC कायम काले मौका निशानदेही की गई। मौका बन्नागत
 को हमने देख लिया है। जिस बारा हमारा कोई भी डार व देतासुक्ति
 है बस हमारा यही ध्यान है ध्यान सुन व समझ लिया। जिसेसिंह
 व दासल माना।

1. महाराज
 2. R.O. A.P.
 3. अमरसिंह

Attested
 15/8/22

जमान श्री कौंकार सिंह जमान ग्राम पंचायत उदयपुर तहसील व जिला चम्पा
व डी 5996

जमान किताब कि डायरी दिनांक 16-08-2022 को खसम नं. 1460/1019, 1461/1019, 1463/1019 किला 03 खसम 10-02-00/पा महेल की मौका निशानदेही मीठा नया तहसील व तहसील महेल है। वन्दोवानी मुलाकिल व न्यायालय के मौका पर जी गरी व न्या मौका पर वनी साक/साका के सुयंत्र निर्देशों उपायुक्त महेल महेल की अध्यक्षता के विभिन्न विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा किया गया। मौका पर वने रातों/साक के कुछ के लिए व न्या का जितने स्थानीय लोगों अपने माल-सम्पत्तियों के लिए व स्वयं के लिए प्रयोग करते चले आ रहे हैं। मेरे कार्यकाल के लिए प्रदान इलाका साक है। कुं 3,00,000/- तीन लाख स्वीकृत हुए थे। पन्नु खर्च न किए गए। पूरे के वने हुए रातों की स्थानीय लोगों के अपने सहयोग के कुछ चोड़ा करके पक्का किया हुआ है। जिस रातों/साक के गाँव के लगभग 35-40 परिवारों को काइका देना है। उस रातों प्रथास्थिति लोगों की सहूलियत के लिए रहना चाहिए। वन्द न होना चाहिए। मौका निशानदेही को मैंने देखा लिया है। जिस वारा मेरा कोई भी ऊपर व स्तान नहीं है। वस मेरा यही जमान है। जमान पुन व साक लिया। जिससे मेरे व दातन तसबूत किया।

Attested
16/08/2022

R. 00000
J. 00000
उदयपुर

1. पंचायत कीर्तन निर्मला देवी महिला मण्डल पंचायत गाँव काधरू तहसील
2. " " दुर्गा देवी 570 पामपौर " " " " " " 60 वर्ष
3. " " करतारसिंह 570 नन्दलाल " " " " " " 60 वर्ष
4. " " अमरसिंह 570 जलकाम " " " " " " 55 वर्ष
5. " " पिंकी देवी 570 लक्ष्मिसिंह " " " " " " 35 वर्ष
6. " " सुनी देवी 570 सुरिन्दरसिंह " " " " " " 38 वर्ष
7. " " सुरेखा देवी 570 दिनेश " " " " " " 30 वर्ष
8. " " अमीत कुमार 570 दीनानाथ " " " " " " 45 वर्ष
9. " " प्रवीण कुमार 570 सुनील " " " " " " 32 वर्ष

मुश्तक पंचायत किआ कि आजादिनांक 16.08.2022 को प्रायः मौका निशानदेही खाता नम्बर 1460/1019, 1461/1019, 1463/1019 किआ 03 रकबा 10-02-वर्गीय को मौका निशानदेही करारिया जरीब मौका पर जायदा तहसीलदार चम्बा हारा दीगरी तथा मौका पर कर्मी सड़क रास्ता का संयुक्त निरीक्षण उपायुक्त महोदय चम्बा की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों हक किआ गया। मौका पर शुरु के ही यह रास्ता था। मौका पर जो सड़क/रास्ता बना है यह हम गाँव-वासियों ने आपसी सहयोग से बना है यह खर्च नहीं लेना चाहिए। इस सड़क/रास्ते से हमें 6 गाँव-वासियों को लगभग 35-40 परिवारों को फायदा होता है उक्त जगह पर शुरु के ही मात्र आदिवासी कोई भी दलालन मौजूद नहीं था। मौका निशानदेही को हमने देख लिया है जिस द्वारा हमारा कोई भी खर्च व खताब नहीं है।

1. निशानदेही 2. मालदारसिंह 3. 4. अमरसिंह

अमरसिंह
16/08/2022

पिंकी देवी
दुर्गा देवी
सुनी देवी
9. Beveem

सुरेखा

अमरसिंह

व्याज श्री संपीव पुत्र मदन लाल सुहाल्ला सुराडा तहसील व जिला चम्बा
उम्र 45 वर्ष

व्याज किया कि आज दिनांक 16-08-2022 को श्रीमान नाथल
तहसीलदार महोदय चम्बा श्रेणी का नूतन मय पलवार पुत्र उदयपुर
राजस्व रिकार्ड महाल उदयपुर जरीब व पैमाना लईत बाये
सौका निशानदही खसत नम्बर 1460/1019, 1461/1019, 1468/1019
कित्ता 03 खसत 10-02-वर्षका महाल उदयपुर बसकाय वाद्यपू
आए/ खसत नम्बर 1468/1019 के साथ मेरी मूलकीपती नूतीपती
हैं खसत उपलोकन को सौका निशानदही को मने देवलिपि
हैं जिस वारा मेरा कोई भी उषर व रैताप्य नही है

व्याज किया कि आज दिनांक 16-08-2022 को श्रीमान उणायुक्त
महोदय चम्बा की अध्यक्षता में मुख्य सड़क NH-154A के वाद्यपू
तक वने रास्ते/ सड़क का संयुक्त निरीक्षण विभिन्न विभागों
के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा किया गया। बूझ रास्ता/सड़क
का उपयोग लगभग 35-40 परिवारों द्वारा किया जाता है।
गांव के लिए आने व जाने का मात्र यही रास्ता है जो कि
पूर्व से ही उपयोग में चला आ रहा है मात्र रास्ते को सफाई
जगह में चाँदा कटके व खजरी डालकर के पक्का किया गया है
जो कि गांववासियों के सहयोग से पक्का व चाँदा किया है
उक्त रास्ते को यदि बन्द किया जाता है तो लगभग पाकिस
(40) परिवारों का रास्ता बन्द हो जाएगा।

व्याज किया कि सातनाम सिंह पुत्र बरकात ने जो मेरे खिलाफ
सकाली भूमि में दराबत कारका सड़क निर्माण द्वारा लिया है वह
भूत है उक्त विवादित जगह पर रास्ते/सड़क का निर्माण गांववासियों
में अपने सहयोग से किया है उक्त भूमि पर कोई भी दराबत
मात्र नहीं है। सौका संयुक्त निरीक्षण व सौका निशानदही
के वारा मेरा कोई भी उषर व रैताप्य नही है वस मेरा
यही व्याज है व्याज सुन पढ व समझ लिया। जिस
दली व दाबत माना। R.O.A.E.

Attested
16/08/22

16/08/22



एक कदम स्वच्छता की ओर

संख्या. 4059
खण्ड विकास अधिकारी
विकास खण्ड चम्बा हि.प्र.

सेवा में,

✓ उपायुक्त महोदय,
चम्बा
जिला चम्बा हि.प्र.

DRo
1/8/22

दिनांक /6 अगस्त 2022

विषय : दिनांक 16-08-2022 को मौका ग्राम पंचायत उदयपुर बारे ।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में मद MPLADS में वर्ष 2017-18 में ग्राम पंचायत उदयपुर को निर्माण Jeep road / link road from vill Udaipur to Bhagnu हेतु मु० 200000/- (दो लाख) रूपये जिला योजना अधिकारी चम्बा द्वारा स्वीकृति आदेश संख्या chamba/yojna/mps/30209 दिनांक 11-09-2018 को राशी स्वीकृत की गई (प्रति संलग्न)। इसके उपरान्त खण्ड कार्यालय द्वारा पत्र संख्या 1883-84 दिनांक 07-03-2019 को पंचायत उदयपुर को उपरोक्त कार्य करवाने के लिए अनुबंध किया गया (प्रति संलग्न) तथा ग्राम पंचायत उदयपुर के प्रस्ताव संख्या -04 दिनांक 25-10-2019 द्वारा प्रथम किस्त की मांग की गई (प्रति संलग्न) जिसके बाद दिनांक 07-03-2019 को इस कार्य के लिए प्रथम किस्त के रूप में मु० 60000/- रुपए पंचायत को कार्य करवाने हेतु जारी किये गए! तत्पश्चात कार्य पूर्ण होने पर पंचायत द्वारा अंतिम किस्त की मांग की गई तथा पंचायत को तकनीकी सहायक द्वारा मापन पुस्तिका संख्या 18818 P.NO.48 TO 50 (प्रति संलग्न) व पंचायत द्वारा अंतिम लेखा अनुसार मु० -139945/- रुपए दिनांक 06-10-2020 को पंचायत उदयपुर को अंतिम किस्त के रूप में जारी की गई तथा इसमें 270 मीटर कच्चा लिंक रोड व लगभग कुल 43 मीटर लम्बाई के चार डंगो का निर्माण किया गया तथा इसमें कुल 199945/- रुपए खर्च किये गए ! (रिपोर्ट संलग्न)

इसी क्रम में जिला योजना अधिकारी चम्बा द्वारा निर्माण कार्य link road from main road Udaipur to Bhagnu के लिए मु०300000/- (तीन लाख) रुपए मद SDP स्वीकृत हुए थे और कार्य को आरंभ करने के लिए 150000 रूपये की राशी ग्राम पंचायत उदयपुर को जारी की गई थी किन्तु मौका विवाद होने के कारण पंचायत द्वारा कार्य को आरम्भ नहीं करवाया जा सका जिसके फलस्वरूप पंचायत को जारी की गई राशी को खण्ड विकास कार्यालय में 150000/-रूपये वापिस कर दिया गया है (रिपोर्ट संलग्न) !

महोदय इसके अतिरिक्त पंचायत प्रधान उदयपुर द्वारा दिनांक 16/08/2022 को मौके पर बयान किया गया कि पूर्व मे बने हुए रास्ते को स्थानीय लोगो ने अपने सहयोग से कुछ चौड़ा करके पक्का किया है (प्रति सलंगन)! महोदय इस लिंक रोड पर पैरा संख्या एक में वर्णित पंचायत द्वारा खर्च धनराशी के अतिरिक्त स्थानीय लोगो द्वारा भी धनराशी खर्च की गई है जिसकी फौरी तोर पर मुल्यांकन कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा किया गया है! इसमें यह पाया गया कि लगभग 188 मीटर लिंक रोड पर सोलिंग व् कंक्रीट का कार्य स्थानीय गाँव वासियों ने आपसी सहयोग से किया है! तथा मुताविक मुल्यांकन रिपोर्ट इस पर अनुमानित 564724/- (पांच लाख चौसठ हजार सात सौ चौबीस) रुपए धनराशी खर्च किये जाने का आकलन है (मुल्यांकन रिपोर्ट सलंगन)

अतः रिपोर्ट महोदय की सेवा में प्रेषित है

संलग्न : उपरोक्त ।

भवदीय



खण्ड विकास अधिकारी
विकास खण्ड चम्बा हि.प्र.

रिपोर्ट

आज दिनांक 16/8/2022 को उपायुक्त महोदय के निर्देशानुसार रिपोर्ट निम्न प्रकार से प्रस्तुत की जाती है ।

महोदय मद MPLADS में वर्ष 2017-18केअंतर्गत ग्राम पंचायत उदयपुर को निर्माण Jeep road / link road from vill Udaipur to Bhagnu हेतु मु० 200000/-दो लाख रुपये जिला योजना अधिकारी चम्बा द्वारा स्वीकृति आदेश संख्या chamba/yojna/mps/30209 दिनांक 11-09-2018 को राशी स्वीकृत की गई ।

इसके उपरान्त खण्ड कार्यालय द्वारा पत्र संख्या 1883-84 दिनांक 07-03-2019 को पंचायत उदयपुर को उपरोक्त कार्य करवाने के लिए अनुबंध किया गया तथा ग्राम पंचायत उदयपुर के प्रस्ताव संख्या -04 दिनांक 25-10-2019द्वारा प्रथम किस्त की मांग की गई जिसके बाद दिनांक 07-03-2019 को इस कार्य के लिए प्रथम किस्त के रूप में मु० 60000/- पंचायत को कार्य करवाने हेतु जारी किये गए तत्पश्चात पंचायत द्वारा अंतिम किस्त की मांग की गई तथा पंचायत को तकनीकी सहायक द्वारा मापन पुस्तिका संख्या .18818P NO.48 TO 50 व पंचायत द्वारा अंतिम लेखा अनुसार मु० -139945/- दिनांक 06-10-2020 को पंचायत उदयपुर को अंतिम किस्त के रूप में जारी की गई रिपोर्ट महोदय की सेवा में प्रेषित है ।

Razalun.
T.A. Udaipur.

J.E.


खण्ड विकास अधिकारी
विकास खण्ड चम्बा हि.प्र.

Ref.

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER, CHAMBA (H.P.)

Number: CHAMBA/Yojna/MPS/ 30209

Dated: 11-9-18

Sanction Order

Administrative approval and expenditure sanction for the following work(s) is/are hereby accorded for the:

7-2018 Under Head: MPLADS (Lok Sabha)

Agency: BDO, Chamba

Scheme ID and Name	panchayat	Sector	Sanctioned Amount
MPS/2017/42, C/O (Construction of) JEEP ROAD/LINK ROAD FROM VILLAGE UDAIPUR TO BHAGNU	UDAIPUR	Kangra	200000
Schemes: 1			Total Amount: 200,000.00

Sanction(s) is/are subject to the following conditions:

- The Sanctioned Work(s) will preferably be got executed through the concerned Deptts./Departmental technical manpower available in the District/Pradesh.
- The works(s) should be executed in accordance the approved estimate(s) design(s) The Technical Officer/authority that technically approved the estimates will also be competent to assess the work(s) and authorize the disbursement of payments.
- The expenditure should be restricted to the actual amount sanctioned during the relevant financial year.
- All the payments should be made on regular bills/vouchers duly entered in the measurements book(s). The works(s) should be completed with in relevant financial year or with in one year from the date of sanction.
- The estimate(s) of the proposed work(s) should not contain departmental charges.
- The sanctioned development work(s) should lead to a community/area benefit.
- The UC/CG of the sanctioned work(s) should invariably be sent to this office as per the time schedule fix for the completion of the work(s).
- The sanctioned funds can however partly be utilized for the purchase of materials/equipments needed for the works/projects and should be consumable in the process of implementation but no store articles can be purchased.
- The revision of estimate(s) sanctioned(s) is not allowed.
- To avoid delays in the execution of the sanctioned developmental work(s) as per the time schedule(s) fixed the executive agency(ies) should necessary get N.O.C. from the concerned departments / board(s) corporations(s)/ forests/ nagar panchayat(s) etc. and in case of private land involved for the execution of the sanctioned work(s) N.O.C.(s) on the affidavits from the private land owner (s) should invariably be obtained well in advance and necessary entries in the revenue record be got effected as funds can not be used for payments of any type of compensation.
- Besides these, all other cordal formalities including those contained in guidelines should be strictly adhered to.
- The monthly physical and financial progress report be sent to this office by the 10th of every month.
- No recurring revenue expenditure will be provided under the scheme.

By Order

Deputy Commissioner
District CHAMBA (HP)

4-29 Oct 11/9/18
C/O 65 Oct 11/9/18

above

I.A.G. (A&E) Shimla -3
Division Planning, HP Government Shimla -2
S.G. H.P. Shimla -3

Deposited to CPB/SA 9/10/18

DO, Chamba With the request to initiate above works immediately. UC & CC should be sent to this office after the completion of Work Ch.No 790375 Dated 11-09-2018 Amount 200000-00
copy to Gaurd File

District Planning Officer
District CHAMBA (HP)

Order for IDs: MPS/2017/42, 1 Schemes Amounting : 200 000.00

3/2018

DA/Agree/TE/SA/Guard/H/O

क्रमांक 1883-84

कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी विकास खण्ड चम्बा ।

प्रेषित:-

प्रधान/ पंचायत सचिव/ पंचायत सहायक

ग्राम पंचायत ...*Udampur*

विषय:-

दिनांक:- चम्बा ...*7/3/2019*

ज्ञापन:-

Other Head के अन्तर्गत कार्य हेतु स्वीकृती पत्र ।

आपकी पंचायत में मद के अन्तर्गत

स्वीकृती के अन्तर्गत तारीख को हुए अनुबन्ध अनुसार कार्य राशि निम्न शर्तों अनुसार व्यय की जाये ।

क्रम संख्या	कार्य का नाम	स्वीकृती राशि	स्वीकृती आदेश संख्या	दिनांक
1	<i>Jeep road Link Road from vill. Udampur to Bhogru</i>	<i>2,00,000</i>	<i>CBR 40/na/mlx 30289 dt 11/9/18</i>	<i>06/09/18</i>

कार्य की राशि निम्न शर्तों अनुसार व्यय की जाये ।

शर्त:-

1. राशि की शेष अदायगी कार्य की प्रगति अनुसार कनिष्ठ अभियन्ता पर ही की जायेगी ।
2. इस पत्र के जारी होने के *06* मास के भीतर-2 कार्य पूरा करना आवश्यक है ।
3. इस कार्यालय द्वारा आपको कार्य हेतु कोई भी सामग्री जारी नहीं की जायेगी पंचायत अपनी सारी सामग्री हि० प्र० राज्य आगमिक एवं खण्ड आपूर्ति निगम या एग्री इण्डस्ट्रीज से ही लेना होगा ।
4. कार्य स्वीकृत प्रांकलन नक्शों के आधार पर गुणवत्ता व सफेसिपिकेशन को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा ।
5. कार्य हेतु कोई अतिरिक्त राशि नहीं दी जायेगी । कार्य को विभिन्न स्तरों पर कनिष्ठ अभियन्ताओं/ तकनीकी सहायकों की देखा-रेखा में किया जायेगा ।
6. भवन निर्माण व अन्य सीमेंट का कोई भी कार्य नींव की बाजरी सिमेंटिक जैड स्लैब कार्य फर्श पलस्तर आदि करने से पूर्व लिखित सूचना इस कार्यालय को कनिष्ठ अभियन्ता व तकनीकी सहायक को देना अति आवश्यक है ।
7. कार्य शुरू करने पूर्व सुनिश्चित कर लें कि इस कार्य से कम से कम पांच परिवारों को लाभ पहुंचता हो ।
8. पंचायती राज वित्तीय नियम 2002 के विधाम 93 की अनुपालना लें यदि पंचायत चाहे तो कार्य पंजीकृत संस्था/ पंजीकृत कमेटी द्वारा करवाया जा सकता है किन्तु एक समय में एक ही कार्यकमेटी को आवंटित किया जा सकता है किन्तु इस प्रकार के आवंटित कार्यों के लेखा-जोखा/ अविशमिता की स्थिति में पंचायत जिम्मेदार होगी और कार्य में लगे मजदूरों/ सामग्री बैंक द्वारा प्रदान की जायेगी ।

9 पंचायत के अनापति प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाने पर किसी कमेटी को कार्य आवंटित करने का नियमानुसार कोई प्रावधान नहीं है ।

10 अनुबन्ध पत्र परिशिष्ट 11 5 बी-पैरा 52 के अर्न्तगत दर्शाई गई कम संख्या 1 से 13 तक की शर्तें व सूचनाओं की कड़ाई से पालना की जायेगी ।

निर्माण कार्य पंचायती राज नियम 93:1974 के अर्न्तगत करवाया जाए

11 कार्य कुशलता को ध्यान में रखते हुए स्थानीय मजदूरों की ही प्राथमिकता दी जाए ।

12 टेस्ट चैक हेतू 10 प्रतिशत राशि भी रोकी जा सकती है ।

13 उपरोक्त कार्य हेतू स्वीकृत राशि का उपयोग केवल उस कार्य पर ही किया जाए तथा अन्य उद्देश्य के लिए इस राशि का व्यय नहीं किया जाये ।

14 यदि राशि का दुरुपयोग किया जाता है तो उस स्थिति में ग्राम पंचायत निर्माण समिति प्राप्त की गई पूर्ण धनराशि को 18 प्रतिशत व्याज सहित वापस करने के लिए बाध्य होगी ।

15 यदि कार्य किसी और मद से स्वीकृत हो गया है तो राशि को वापस अधोहस्ताक्षरी को वापस भेजा जाये ।

16 हर मासिक बैठक में उपरोक्त कार्यों की प्रगति रिपोर्ट पंचायत द्वारा विकसण खण्ड में लिखित रूप में देना अनिवार्य है ।

17 कार्य आरम्भ होने से पूर्व हर प्रकार की औपचारिकतायें पूर्ण कर ली जायें । जैसे जमीनी कागजात इत्यादि ।

18 कार्य शुरू करने से पूर्व कार्य सील की जमीन पंचायत या सम्बन्धित विभाग के नाम पर करवाना पंचायत की जिम्मेवारी होगी व भूमि सम्बन्धी किसी भी विवाद का उत्तरदायित्व पंचायत पर होगा ।

19 कार्य स्थान पर किसी भी प्रकार की आपत्ति के जिल पंचायत स्वंय जिम्मेवार होगी ।

20 एन आर जी पी के अर्न्तगत श्रम रोजगार प्रदान किया जाये ।

21 कार्य पर लगे हुए मजदूरों को मजदूरी की अदायगी का भुगतान चैक द्वारा किया जाये ।

22 कार्य के तीन फोटो आरम्भ, मध्य व अन्त में लिए जायेंगे ।

23 कार्य के साईन बोर्ड का बनाना अति आवश्यक होगा ।

प. 1885-87
प्रतिलिपी :-

- 1 कनिष्ठ अभियन्ता/-
- 2 तकनीकी सहायक ग्राम पंचायत u.drupur.....
- 3 वरिष्ठ सहायक (लेखा)

खण्ड विकास अधिकारी
विकसण खण्ड चम्पा ।

दिनांक ... 7-3-19

खण्ड विकास अधिकारी
विकसण खण्ड चम्पा ।

कार्यालय ग्राम पंचायत उदयपुर विकास खण्ड चम्बा जिला चम्बा (हि.प्र.)
प्रथम किस्त हेतु आवेदन

कार्य का नाम जीप रोड /लिक रोड से गाँव उदयपुर से बगान्-----

मद MPLADS (Lok Sabh)-----स्वीकृत राशि --200000-----

कार्य अवधि -----कार्य आरम्भ की तिथि -----

कार्य के लिए तकनीकी सहायक का नाम ---श्री नरेश कुमार-----

निर्माण कमेटी का विवरण

क्र.सं	नाम व पता	पद
1	श्री मति कलासो प्रधान	अध्यक्ष
2	श्री मति देस राज पुत्र धरमू गाँव ढाम्पू	सदस्य
3	श्री मति रेखा देवी पत्नी रविन्द्र गाँव ढाम्पू	सदस्य
4	श्री पृथी चन्द पुत्र केसर गाँव ढाम्पू	सदस्य

सतर्कता कमेटी का विवरण

क्र.सं	नाम व पता	पेशा
1	श्री जर्मी पुत्र रावण गाँव गोठली	कृ०
2	श्री अशोक कुमार पुत्र चैन लाल गाँव गोठली	कृ०
3	श्री ईश्वर सिंह पुत्र जमीत सिंह गाँव गोठली	कृ०

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण पंचायत प्रस्ताव संख्या ---04-- दिनांक ---25/01/2018--- अनुसार लिखा गया है जो कि कार्यवाही रजिस्टर में विद्यमान है और सतर्कता कमेटी व तकनीकी सहायक को सूचित कर दिया गया है तथा इस कार्य का मस्ट्रोल पंचायत कार्यवाही अनुसार प्रधान श्री मति कलासो को जारी किया जाएगा। पंचायत द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त निर्माण कार्य सरकारी भूमि / निजी भूमि पर करवाया जा रहा है जिसका खतौनी सं 553/551 ---व खसरा सं . 1463/1019 --- है तथा इस भूमि पर किसी भी प्रकार का भूमि विवाद नहीं है । जिस में भूमि का ---शपथ पत्र --दिया गया है ।

ग्राम प्रधान

KLASHO

सचिव

केवल कार्यालय प्रयोग के लिए

Name of work Jeep road from udyapur to bhama MPLAD

Sanction Amount 2,00,000 Sanction Order No. _____ Date _____

Technical Sanction No. 2018/11/10 Dated _____ WRP: 77

The GP has framed the working committee as well as the monitoring committee for the above said work . The estimate duly approved is also placed on the work file. Hence if approved the 1st instalment of 50,000/- may please be released to GP Udyapur

B.D.C

J.E (Dev)

Head-----Instt.-----Year-----Lp

Sanctioned an Amount for-----Only

Blank Dev. Officer

प्रमाण पत्र

निर्माण किया जाता है कि निर्माण कार्य C/D ऑफिस रोड लिन्ड रोड from प्लेन रोड to wall जंगल सरकारी भूमि निजी जिस भी भूमि पर करवाया जा रहा है इस भूमि पर किसी भी प्रकार का भूमि विवाद नहीं है और न ही यह कार्य वन विभाग की भूमि पर करवाया जा रहा है उक्त कार्य के लिए पहले कोई भी धन या किसी अन्य शीर्षक विभाग द्वारा स्विकृत नहीं हुआ है निर्माण कार्य खतोनी न० 553, 551 व खसरा न० पर ही करवाया जा रहा है यदि निर्माण कार्य में कोई भी अनियमितता आती है या भविष्य में पाइ जायगी तो निर्माण कर्ता पंचायत पदाधिकारी निजी लाभार्थी स्वयं जिम्मेवार होगा उक्त कार्य के भूमि सम्बन्धी अभिलेख में द्वारा प्रस्तुत किये जा रहे है प्रस्तुत किये गये भूमि सम्बन्धी अभिलेख अनुसार ही उपरोक्त खतोनी न० 553, 551 खसरा न० 1463/1.2.9 पर ही करवाया जा रहा है कार्य किसी दूसरी जगह पर किया जाता है या निर्माण कार्य को नुकसान पहुंचाया जाता है तो भविष्य में निर्माण कर्ता पंचायत पदाधिकारी निजी लाभार्थी स्वयं जिम्मेवार होगा और यदि भूमि सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता तो भी म उत्तरदायी होगा

भवदीय पंचायत पदाधिकारी
नाम K LASHO
पद
ग्राम पंचायत
विकास खंड चंबा हि०प्र०

दुर्गा महिला मण्डल - बागणू

ग्रा० पं० उदयपुर, तह. व जिला चम्बा हि० प्र०)

क्रमांक _____

दिनांक _____

श्रीवा मै,

स्वण्ड विकास अधिकारी चम्बा

विषय :- मेन रोड से गांव बागणु तक पक्का जीपवेबल रोड व पक्का पाथ बनाने बारे :-

महोदय :- यह है कि गांव बागणु में जो मेन रोड से निकल शस्ता बना है उस शस्ते पर लगभग 30-40 भक्तानों के लगाने को आना जाना है व पुस्ता शस्ता है इसलिए इस शस्ते को पक्का या जीप रोड बनाया जाए तो गांव बासी को काफी सुविधा होगी क्योंकि छोटे-बच्चे को स्कूल व बुजुर्ग लोगों को बिमार होने पर उठा कर आइक तक पहुंचाना पडता है। अतः गांव बासी उपरोक्त शस्ते को पक्का व जीपवेबल रोड बनाने की मांग करते हैं।

- 1 रतनी रामशत गांव बासी,
- 2 ~~अस~~
- 3 ~~अस~~
- 4 ~~अस~~

दुर्गा महिला मण्डल
जिला चम्बा (उदयपुर)

- 5 Amritha
- 6 sonu
- 7 अंजु देवी
- 8 ~~सुनी~~
- 9 Durgoo Devi
- 10 ~~129~~
- 11 ~~120/21~~
- 11 ~~Amey~~
- 12 ~~Amey~~
- 13 Balwant Singh
- 14 ~~सुनी~~
- 15 Sumera Devi
- 16 सुमन कुमारी
- 17 Sheeraza kumar
- 18 वीणा
- 19 कुलदीप
- 20 ~~करवणी~~
- 21 पूजा देवी
- 22 Amey Singh
- 23 सान्या देवी
- 24 सुमना
- 25 Reena kumar
- 26 सुरेश्वर राणा
- 27 हर्नाम राणा
- 28 सुनी देवी
- 29 ~~सुनी देवी~~
- 30 निवेला देवी
- 31 Babita
- 32 Jyoti
- 33 Pinki Devi
- 34 सुरेश्वर
- 35

NAME OF WORK:--C/O LINK ROAD MAIN ROAD TO BHAGNU G.P. UDAIPUR DEV. BLOCK
CHAMBA (H.P.)

(PART---A)= 52300.00

(PART---B)= 147700.00

TOTAL= 200000.00

TOTAL ESTMATED COST:-- 200,000/--

(TWO LAC ONLY)


Technical Assistant
Gram Panchyat Udaipur
Dev. Block Chamba (H.P.)

(PART ---A)

ABSTRACT OF COST




















S.N.	DESCRIPTION OF ITEMS	QTY	UNIT	L.RATE	T.RATE	L.RATE AMT.	T. RATE AMT.
1	Excavation in soil in Hilly Area by mechanical means including cutting and trimming of side slopes and disposing of excavated earth with a lift up to 1.5 mtr. And a lead up to 20 mtr. As per Technical Specification Clause 1603.1.	615.38	CUM.	11.30	84.90	6953.74	52245.34
						6953.74	52245.34
						Deduct 15%(10% C.P. +5% O.H.C.) (-)	1043.06 (-) 7836.80
						Net Qty =	5910.68 44408.54
						Add 125 % Labour Enhancement (+)	7388.35
							51796.88
						OR SAY:----	52300.00


Technical Assistant
Gram Panchyat.....
Dev. Block Chamba (H.P.)

NAME OF WORK:----C/O JEEPABLE ROAD MAIN ROAD TO BAGNU G.P.UDAIPUR DEV. BLOCK CHAMBA (H.P.)

R/D(MTR.)	X- SECTION AREA			TOTAL(SQM.)	MEAN AREA(SQM.)	LENGTH(MTR.)	TOTAL QTY.(CUM.)
0.00	1 / 2	4.50	3.00	6.75	0.00	0.00	0.00
15.00	1 / 2	4.00	2.00	4.00	5.38	15.00	80.63
30.00	1 / 2	3.00	4.00	6.00	5.00	15.00	75.00
45.00	1 / 2	3.00	3.50	5.25	5.63	15.00	84.38
60.00	1 / 2	2.00	3.00	3.00	4.13	15.00	61.88
75.00	1 / 2	3.00	2.50	3.75	3.38	15.00	50.63
90.00	1 / 2	3.70	2.50	4.63	4.19	15.00	62.81
105.00	1 / 2	3.00	0.45	0.68	2.65	15.00	39.75
120.00	1 / 2	3.00	0.30	0.90	0.79	15.00	11.81
135.00	1 / 2	3.00	0.30	0.90	0.90	15.00	13.50
150.00	1 / 2	3.00	0.30	0.90	0.90	15.00	13.50
165.00	1 / 2	3.00	0.30	0.90	0.90	15.00	13.50
180.00	1 / 2	3.00	0.30	0.90	0.90	15.00	13.50
195.00	1 / 2	3.00	0.30	0.90	0.90	15.00	13.50
210.00	1 / 2	3.00	0.30	0.90	0.90	15.00	13.50
225.00	1 / 2	3.00	0.30	0.90	0.90	15.00	13.50
240.00	1 / 2	3.00	0.30	0.90	0.90	15.00	13.50
255.00	1 / 2	3.00	0.30	0.90	0.90	15.00	13.50
270.00	1 / 2	3.00	0.30	0.90	0.90	15.00	13.50
285.00	1 / 2	3.00	0.30	0.90	0.90	15.00	13.50
						TOTAL QTY.=	615.38
							Cum.
							PICK/JUMPER


 Technical Assistant
 Gram Panchayat
 Dev. Block Chamba (H.P.)



~~Technical Assistant~~
Gram Panchyat
Dev. Block Chamba (H.P.)

(PART---B)

ABSTRACT OF COST

S.N	DESCRIPTION OF ITEMS	QTY	UNIT	L.RATE	L.RATE AMT.
1	Excavation in Foundation trenches etc. in the earth work in all kinds of soil up to all heights stacking the excavated soil not more than three mtr. Clear span from the edge of the excavated and then returning the excavated soil in 15 cm. layers when required in the plinth sides of foundations etc. Pick/Jumper work(50%) each.	9.00	Cum.	167.55	1507.95
2	Providing Form Work with steel plates 3.15mm thick welded with angle iron in frame 30*30*5mm.so as to give a rough finish including centering,shuttering,strutting and propping etc.with wooden battens and ballies,	31.13	Sqm.	52.15	1623.17
3	Providing and laying cement conc. (1:5:10) 1 cement:5:sand:10agg. 40mm nominal size & with 15% plum and curing complete excluding cost of form work.in R/wall/ Bresat walls the Size of plums shall usually be 150mm to 300mm.as per H.P.W.D.Specification.	31.50	Cum.	408.20	12858.30
					15989.42
					Add Carriage of Materials (+) 1598.35
					17587.77
					Deduct 15 % (10% C.P.+ 5% O.H.C) (-) 2638.16
					14949.60
					Add Collection of Materials (+) 1400.63
					16350.23
					Add 125%Labour Enhancement(+)
					20437.78
					36788.01
					Add Cost Of Materials(+)
					110990.43
					147778.43
					GRAND TOTAL SAY-- 147700.00


TECHNICAL ASSISTANT
Gram Panchyat
Dev. Block Chamba (B.N.)

DETAILS OF MEASUREMENTS

S.N.	DESCRIPTION OF ITEMS	NO.	LENGTH	BREADTH	HEIGHT	QUANTITY
1	Excavation in Foundation trenches etc. in the earth work in all kinds of soil up to all heights stacking the excavated soil not more than three mtr. Clear span from the edge of the excavated and then returning the excavated soil in 15 cm. layers when required in the plinth sides of foundations etc. Pick/Jumper work(50%) each.	1	40.00	0.75	0.30	9.00 Cum.
2	Providing Form Work with steel plates 3.15mm thick welded with angle iron in frame 30*30*5mm.so as to give a rough finish including centering,shuttering,strutting and propping etc.with wooden battens and ballies, Front Side Right + Left Side	1 2	40.00 0.75		0.75 0.75	30.00 Sqm. 1.13 // 31.13 Sqm.
3	Providing and laying cement conc. (1:5:10) 1 cement:5:sand:10agg. 40mm nominal size & with 15% plum and curing complete excluding cost of form work.in R/wall/ Bresat walls the Size of plums shall usually be 150mm to 300mm.as per H.P.W.D.Specification. Below G/L Above G/L	1 1	40.00 40.00	0.75 0.75	0.30 0.75	9.00 Cum. 22.50 // 31.50 Cum.


 Civil Engineer
 Dev. Block Chamba (H.P.)

CONSUPTION OF MATERIALS

S:N	DESCRIPTION	QUANTITY	CEMENT(NO,S)	SAND(CUM.)	AGG.(CUM)	Shuttering	Form
1	C.Conc. 1:5:10(40mm)	31.50 Cum.	88.83	14.81	28.04		
2	form work	31.13 Sqm.				31.13	
3	Plum	4.67 Cum.					4.67
			88.83 Bag	14.81 Cum.	28.04 Cum.	31.13 Cum.	4.67 Sqm.

COST OF MATERIALS

S.N	ITEMS	MARKET RATE	AMOUNT
1	CEMENT 88.83 B AG	370.00	32867.10
2	AGG(40MM) 28.04 CUM.	1415.00	39669.53
2	SAND 24.20 CUM.	1589.00	38453.80
	TOTAL		110990.43

COLLECTION OF MATERIALS BY MANUAL LABOUR


S.N	ITEMS	BASIC RATE	AMOUNT
1	AGG(40MM) 28.04 CUM.	0.00	0.00
2	SAND 0.00 CUM.	0.00	0.00
3	PLUM 4.67 CUM.	300.00	1400.63
	TOTAL		1400.63

CARRIAGE OF MATERIALS BY MANUAL LABOUR

S.N	ITEMS	RATE	LEAD	AMOUNT
1	AGG(40MM) 28.04 CUM.	0.00	0.00	0.00
2	PLUM 4.67 CUM.	342.35	1 K.M	1598.35
3	SAND 0.00 CUM.	128.00	0.00	0.00
	TOTAL			1598.35


 Technical Assistant
 Gram Panchayat
 Dist. Block Chamba (H.P.)


PROPOSED DRAWING OF PROTECTION WALL (CONC.)



FRONT / ELEVATION

[Signature]
Technical Assistant
Gram Panchayat
Dev. Block Chamba (H.P.)

SITE PLAN OF LINK ROAD BHAGNU:---



Technical Assistant
Gram Panchayat
Devi Block Chamba (H.P.)

समाप्त पत्र

समाप्त किया जाता है कि लिफ्ट रोड इंदरपुर से गांव
 बागपु तक जा कार्य मद MPLADS के अन्तर्गत मू०
 200000/- व्ययित हुए है इस बारे में मधोदय कहां
 पर पहले से ही बचचा राता बना हुआ है जिसका
 जीप रोड में तबदील किया जा सकता है जो कि पीछे
 नरकार चारगाह किला दरख्तान रकसरा न० 1463/11019 29/12/19
 न० 553/55 पर मौजूद है इस पर गांववासी और
 पंचायत को कार्य भी आपत्त नहीं है

अतः इस रोड के बनने से कार्य

लोगों को व परिवारों को लाभ पहुंचेगा अतः समाप्त
 पत्र आगामी सेवा हेतु तैयार है।

KLASHO
 गांव इंदरपुर
 जिला बल्ला (H.O.R.O)

06/03/19

UTILISATION CERTIFICATE

- 1 NAME OF WORK----- LINK ROAD JEEP ROAD FROM VILLAGE UDAIPUR TO BHAGNU
- 2 NAME OF GRAM PANCHYAT----- G.P. UDAIPUR
- 3 HEAD OF ACCOUNT----- MPLAD
- 4 NAME OF EXECUTIVE AGENCY----- G.P. UDAIPUR
- 5 SANCTION AMOUNT----- 200000.00
- 6 TOTAL AMOUNT SPENT----- 200000.00
- 7 PUBLIC CONTRIBUTION----- NIL
- 8 YEAR OF SANCTION----- 2018-2019
- 9 SANCTION NO & DATE----- 30209 DATE 11/09/2018
- 10 DATE OF COMPLETION----- 30-01-2020
- 11 MANDAYS GENERATED----- 113 DAYS
- 12 M.B. NO. AND PAGE----- MB 18818 PN. 48 TO 50
- 13 BALANCE AMOUNT IF ANY----- 0.00
- 14 PHOTOGRAPH OF THIS WORK HAS BEEN ATTACHED WITH VOUCHER & KEPT IN VOUCHER FILE OF THIS OFFICE.

PHYSICAL VERIFICATION REPORT OF THE WORK BY GRAM PANCHYAT. G.P. UDAIPUR

PHYSICAL VERIFICATION REPORT OF THE WORK BY
TAKNIKI SAHYAK / JUNIOR ENGINEER / PI/AE (DEV.) BDO


Gram Panchayat
Dev. Block Chamba (H.O.)

KLASHO
G.P. UDAIPUR
DATE 11/09/2018

BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
DEVELOPMENT BLOCK CHAMBA

ENDST. NO.:

COPY TO :-

- 1 THE DEPUTY COMMISSIONER CHAMBA, DISTT. CHAMBA
FOR FAVOUR OF INFORMATION PLEASE
- 2 THE PROJECT OFFICER, D.R.D.A. CHAMBA, DISTT.
CHAMBA FOR FAVOUR OF INFORMATION PLEASE.
- 3 THE PARDHAN GRAM PANCHYAT G.P. UDAIPUR FOR RECORD.

DATED _____

Particulars	Details of Actual Measurement			Contents or for area
	No.	W	D.	
N.O. in C/o Link Road Madhav				
Udagram Road to Bagru.				
Head in MPLAD				
S.A. 200,000/-				
Agency in G.P. Udagram				
S.W.D Excavation in soil in hilly Area by mechanical means including cutting & trimming of slopes & disposing of excavated earth with a lift up to 1.50				

MTR. & load up to 20 MTR.
 as per Technical Specification
 Clause 1603.1

R/W	Cross-section	mean	length	Qty
0.10	1/2 x 4.50 x 2.0 = 6.75	0.10	0.00	0.00
15.00	1/2 x 4.00 x 2.0 = 4.00	5.38	15.00	80.63
30.00	1/2 x 3.00 x 4.00 = 6.00	5.00	15.00	75.00
45.00	1/2 x 3.00 x 3.50 = 5.25	5.63	15.00	84.38
60.00	1/2 x 2.00 x 3.00 = 3.00	4.13	15.00	61.88
75.00	1/2 x 2.00 x 2.50 = 2.50	3.38	15.00	50.63
90.00	1/2 x 2.00 x 2.50 = 2.50	3.75	15.00	56.25
105.00	1/2 x 2.00 x 0.45 = 0.68	2.21	15.00	33.19
120.00	1/2 x 2.00 x 0.45 = 0.68	0.68	15.00	10.13
135.00	1/2 x 2.00 x 0.45 = 0.68	0.68	15.00	10.13
150.00	1/2 x 2.00 x 0.45 = 0.68	0.68	15.00	10.13
165.00	1/2 x 2.00 x 0.45 = 0.68	0.68	15.00	10.13
180.00	1/2 x 2.00 x 0.45 = 0.68	0.68	15.00	10.13
195.00	1/2 x 2.00 x 0.45 = 0.68	0.68	15.00	10.13
210.00	1/2 x 2.00 x 0.45 = 0.68	0.68	15.00	10.13
225.00	1/2 x 2.00 x 0.45 = 0.68	0.68	15.00	10.13
240.00	1/2 x 2.00 x 0.45 = 0.68	0.68	15.00	10.13
255.00	1/2 x 2.00 x 0.45 = 0.68	0.68	15.00	10.13
270.00	1/2 x 2.00 x 0.45 = 0.68	0.68	15.00	10.13
				553.31

Particulars	Details of Actual Measurement				Contents or area
	No.	L.	B.	D.	
Labour Rate $\rightarrow 5533$ @ $11.80 = 6252.0$					
Thingh Rate $\rightarrow 5533$ @ $84.90 = 46976.0$					
S/W (2) Excavate in jct. & trenches in good work PD work 50% Calc					
	1	14.70	1.00	0.25	3.86
	1	6.80	1.00	0.25	1.50
					<u>5.36</u>
Labour Rate $\rightarrow 536$ @ $167.55 = 898.0$					
Thingh Rate $\rightarrow 536$ @ $180.55 = 967.0$					
S/W (3) Paving & Laying Cont Cont 1:5:10 / Cont: 5 Sand: 10 Agg 40mm					

nominal size & big comp exch
Cost of form work on R/wall
with 15% Plum & size 150 mm
to 300 mm as per PWD
specification.

Below 9/2 Qty same as 1/1
No (2) $\rightarrow 5.36$

Rate 9/2

1	14.70	1.00	1.05	15.44
1	14.70	1.00	0.60	8.82
1	6.10	1.00	1.00	6.10
1	8.00	0.90	0.60	3.24
				<u>38.85</u>

Labour Rate $\rightarrow 38.85$ @ $408.20 = 15858$

Thingh Rate $\rightarrow 38.85$ @ $456.40 = 17718$

1944.35 = 77480

Statement

Head... MPLADS... 132.....
 Sanctioned & Passed for Rs. 139945/-

Rs. One Lac Thirty Nine Thousand

Particulars	No.	Measurement		Rate	Amount	or
		L	B			
Consumption of materials						
Ser. Description of the work	Qty	Unit	Rate	Amount	By	Particulars
(1) P/L Cem. (1:5:10)	38.85	sqm	167	31.86	By	2583
					By	2

Extra Cost of materials

Ser. Items	Qty	Unit	Rate	Amount	By	Particulars
(1) Cement	88.2	By @ (370-245)	125	11000		
(2) Sand	1595	@ (1589-300)	1289	20589		
Agg	30.45	@ (1589-440)	1149	34987		
				66546		

Rate / hours ser ① to ⑦

Total Labourer Amt. = 28008

Deduct 15% (10%) = 3451

C-D + 5% OHC

Net Amt = 19557

Total Through Rate Amt. = 125423

Deduct 15% (10%) (C-D + 5%) OHC = 18818

Net cost of materials = 66546

Net 15% Labourer Amt from net Labourer Amt. = 29335

S.A. = 200,000

Amt. already paid = 100,000

Now to be paid = 100,000

Amt. reserved for final installment for 100,000


10/11/88

रिपोर्ट

महोदय निवेदन इस प्रकार से है कि नि० कार्य लिंक रोड मेन रोड उदयपुर से बागणु मोहाल उदयपुर के लिए मु० 3,00,000/-रुपये की राशि एस० डी० पी० मद में प्राप्त हुए थे। और पंचायत द्वारा अनुबन्ध करने के उपरान्त उक्त कार्य को आरम्भ करने के लिए मु० 1,50,000/-रुपये की राशि पंचायत को जारी की गई थी। किन्तु पंचायत द्वारा Site Dispute होने के कारण कार्य आरम्भ नहीं करवाया जा सका। जिसके उपरान्त जो धन राशि प्रथम किश्त के रूप में मु० 1,50,000/-रुपये पंचायत को जारी किये गये थे। ग्राम पंचायत उदयपुर द्वारा उक्त धनराशि को विकास खण्ड कार्यालय चम्बा में जमा करवा दिये गये है। महोदय पंचायत प्रस्ताव, आर०टी०जी०एस० व स्वीकृत आदेश की प्रतिलिपि रिपोर्ट के साथ संलान की जा रही है।

प्रतिलिपि संलान-3


पंचायत सचिव
ग्रा०प० उदयपुर


पंचायत सचिव
ग्रा०प० उदयपुर

US

कनिष्ठा अभियन्ता
विकास खण्ड चम्बा (हि.प्र.)

Office of the Deputy Commissioner, CHAMBA (H.P.)

Sanction Number: CHAMBA-Yojna-SDP/337X/3

Date: 18/12-2021

Sanction Order

The administrative approval and expenditure sanction for the following work(s) is/are hereby accorded for the

Year: 2021-2022

Under Head: GDP

Executing Agency: BDO, Chamba

Sl. No.	Scheme ID and Name	Panchayat	Sector	Sanctioned Amount
1	SDP/2021/161, C/O (Construction of Community Hall near Kelang Mohal Gali Mohal)	DRAMMAN	Social Welfare	200000
2	SDP/2021/162, C/O (Construction of Link Road from Main Road to Village Bairi Mohal)	DRADHA	Road and Bridges	200000
3	SDP/2021/164, C/O (Construction of Link Road from Main Road Udaipur to Bagnu Mohal)	UDAIPIUR	Social Welfare	300000

Total Schemes: 3

Total Amount: 700000

The above Sanction(s) is are subject to the following conditions:

1. The Sanctioned Work(s) will preferably be got executed through the concerned Deptts./Departmental technical manpower available in the District Pradesh.
2. The work(s) should be executed in accordance the approved estimate(s) and design of buildings/structure should be earthquake and other disaster resistant with provision of rain water harvesting system. The Technical Officer/authority that technically approved the estimates will also be competent to assess the work(s) and authorize the disbursement of payments.
3. The expenditure should be restricted to the actual amount sanctioned during the relevant financial year.
4. All the payments should be made on regular bills/vouchers duly entered in the measurements book(s). The work(s) should be completed within relevant financial year or within one year from the date of sanction.
5. The estimate(s) of the proposed work(s) should not contain departmental charges.
6. The sanctioned development work(s) should lead to a community/area benefit.
7. The U.C.C. of the sanctioned work(s) should invariably be sent to this office as per the time schedule fix for the completion of the work(s).
8. The sanctioned funds can however partly be utilized for the purchase of materials/equipments needed for the works projects and should be consumable in the process of implementation but no store articles can be purchased.
9. The revision of estimate(s) sanctioned(s) is not allowed.
10. To avoid delays in the execution of the sanctioned developmental work(s) as per the time schedule(s) fixed the executive agency(ies) should necessary get N.O.C. from the concerned departments / board(s) corporations(s)/ forest/ nagar panchayat(s) etc. and in case of private land involved for the execution of the sanctioned work(s) N.O.C.(s) on the affidavits from the private land owner (s) should invariably be obtained well in advance and necessary entries in the revenue record be got effected as funds can not be used for payments of any type of compensation.
11. Besides these, all other codal formalities including those contained in guidelines should be strictly adhered to.
12. The monthly physical and financial progress report be sent to this office by the 10th of every month.
13. No recurring revenue expenditure will be provided under the scheme.

By Order,

Deputy Commissioner

District CHAMBA (HP)

No. as above

प्रस्ताव प्रतिलिपि प्रपत्र
कार्यालय ग्राम पंचायत उदयपुर
विकास खण्ड चम्बा(हि०प्र०)

क्रमांक : 33 D.T 11-03-22
प्रतिलिपि प्रस्ताव संख्या: 05
बैठक : ग्राम पंचायत
अध्यक्षता : श्री ओमकार सिंह
उपस्थिति : 10/11
दिनांक : 11.03.2022

दिनांक :-11-03-2022

विषय:-लिंक रोड from मेंन रोड उदयपुर to बागनु मुहाल निर्माण कार्य की भूमि विबाद होने पर विकास खण्ड चम्बा को राशि वापिस करने वारे :-

सर्व सम्मति से पारित किया जाता है C/O:-लिंक रोड from मेंन रोड उदयपुर to बागनु मुहाल निर्माण कार्य की भूमि का विवाद है अंतः पंचायत उपरोक्त कार्य को नहीं करवाना चाहती है पंचायत ने उपरोक्त कार्य को शुरू नहीं किया है और न ही इसका मापन जारी हुआ है

अंतः सदन में प्रस्ताव पारित हुआ की उपरोक्त कार्य की प्राप्त धनराशी विकास खण्ड अधिकारी को वापिस की जाए अंतःप्रतिलिपि प्रस्ताव सर्वसम्मती से पारित करके श्री मान खण्ड विकास अधिकारी के चम्बा की सेवा में प्रेषित की जाती है


Pradhan
Gram Panchayat Udaipur
Dev. Block Chamba (H.P.)


पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत उदयपुर
विकास खण्ड चम्बा (हि० प्र०)

From

Office of the Gram Panchayat Udaipur
Dev.Block Chamba Distt.Chamba (HP)

To

The Manzer
SBI PAREL
(Chamba)


Subject:- Online Transfer of fund.


V. P. 10
30


Sir,

Kindly Transfer a sum of Rs.150000/- (हजार मात्र) Parents Head from account no. **33529055150** to the following Bank account no. in favour of following account holder vide check no. 857228 dated 11.03.2022 as per detail given below under information to this office please:

Sr.No	Name of Account Holder	Bank Name	IFSC Code	Account No.	Amount to be transfer
1	BDO CHAMBA	HPGB CHAMBA	PUNB0HPGB064	99011700007783	150000/-
				Total	150000/-


Pradhan
Gram Panchayat Udaipur
Dev. Block Chamba (H.P)


Panchayat Sachiv
Gram Panchayat Udaipur
Dev.Block Chamba Distt.Chamba



From

Rough Assesment Of work

Now :-C/o Link Road main Road To Bagnu.

Head :- Work Done By Local Public.

Abstract Of Cost

Sr No	discription of items	Qty	unit	Rate	Amount
1	dressing Of Ground	932.95	Sqm	3.41	3181.36
2	Stone Soling Properly Hand Packed	93.30	Cum	61.03	5693.79
3	Cement Conc 1:3:6 1 cement 3 sand 6 graded stone Agg 20 mm nominal size.	69.97	Cum	368.01	25750.12
Total 1 To 3 =					34625.27

Consumption Of Material

Sr No	discription of items	Qty	Unit	cement	Sand	Agg 20 mm	Soling Stone
1	Stone Soling Properly Hand Packed	93.30	Cum				93.30
2	Cement Conc 1:3:6 1 cement 3 sand 6 graded stone Agg 20 mm nominal size.	69.97	Cum	307.87	32.89	62.27	
Total =				307.87	32.89	62.27	93.30

Collection Of Material

Sr No	discription of items	Qty	unit	Rate	Amount
1	Soling Stone	93.30	Cum	300	27988.50
2	Agg 20mm	62.27	Cum	460	28646.23
Total =					56634.73

Carriage Of Material

Sr No	discription of items	Qty	unit	Rate	Amount
1	Soling Stone	93.30	Cum	155	14460.73
2	Agg 20mm	62.27	Cum	155	9652.53
Total =					24113.26
Total =					115373.26

Add Labour Enhancement 250 % = 288433.15

Total Labour Amount = 403806.42

Cost Of Material

1	Cement	307.87	Bag	467	143776.92
2	sand	32.89	cum	430	14141.19
3	Mech Carriage	6	Trip	500	3000
Total =					160918.11
Total Assesment Amount =					564724.53

Say Rupees :- Five Lakh Sixty Four Thousand Seven Hundred twenty Four Only

(Signature)
T.A. - udhigun

(Signature)
J.E.

Rough Assesment Of work

Detail Of Measurement

Now :-C/o Link Road main Road To Bagnu.

Head :- Work Done By Local Public.

Sr No	Discription Of Item	No,s	Length	Breadth	Height/Depth	Qty	Unit
1	dressing Of Ground						
	Rd 0 To 42	Nil	Nil	Nil	Nil		
	42 To 65	1	23	2.90		66.70	Sqm
	65 To 95	1	30	3.00		90.00	Sqm
	95 To 140	1	75	4.50		337.50	Sqm
	140 To 185	1	45	5.00		225.00	Sqm
	185 To 230	1	45	4.75		213.75	Sqm
					Total =	932.95	Sqm
2	Stone Soling Properly Hand Packed						
	Rd 0 To 42	Nil	Nil	Nil	Nil		
	42 To 65	1	23	2.90	0.10	6.67	Cum
	65 To 95	1	30	3.00	0.10	9.00	Cum
	95 To 140	1	75	4.50	0.10	33.75	Cum
	140 To 185	1	45	5.00	0.10	22.50	Cum
	185 To 230	1	45	4.75	0.10	21.38	Cum
					Total =	93.30	Cum
3	Cement Conc 1:3:6 1 cement 3 sand 6 graded stone Agg 20 mm nominal size.						
	Rd 0 To 42	Nil	Nil	Nil	Nil		
	42 To 65	1	23	2.90	0.075	5.00	Cum
	65 To 95	1	30	3.00	0.075	6.75	Cum
	95 To 140	1	75	4.50	0.075	25.31	Cum
	140 To 185	1	45	5.00	0.075	16.88	Cum
	185 To 230	1	45	4.75	0.075	16.03	Cum
					Total = 45	69.97	Cum

*Rajinder
T.A. - 10/10/2017*

*10/10/17
J.E*

No. CC/ 4346
H.P. Forest Department.

Annexure-IV

From: -

Divisional Forest Officer
Dalhousie Forest Division
Dalhousie.

To:

The Deputy Commissioner
Chamba Distt. Chamba(H.P)

Dated Dalhousie, the 17-09-2022

Subject: -

Reg Hon'ble NGT's order dated 07-7-2022 passed on O.A No. 389/2022, titled as Satnam Singh Vs State of H.P.

Sir,

With reference to the subject cited above it is submitted that the committee constituted by Hon'ble NGT order dated 07-07-2022 passed on O.A No. 389/2022, titled as **Satnam Singh Vs State of H.P.** visited the disputed site at Udaipur on 16-08-2022 and issued direction to Naib Tehsildar Sadar Chamba to demarcate the disputed land afresh. Further Naib Tehsildar Chamba carried out demarcation on 17.08.2022 of disputed land bearing khasra No.1463/1019 in presence of Forest staff, Pradhan Gram Panchayat Udaipur, Mahila Mandal Pradhan Udaipur, local inhabitants and Satnam Singh S/o Sh. Barkat Ram Mohalla Julakhdi Distt. Chamba {**Copy of demarcation report alongwith statements attached as Annexure-I (A to K)**}. And from the perusal of demarcation report it was found that the land bearing Khasra No. 1463/1019 kism charagah billa drakhtaan is in the ownership of the Himachal Pradesh Sarkar where the Pucca concrete road has been constructed without fulfilling codal formalities. As per record the mentioned land i.e. khasra No. 1463/1019 is not recorded Forest i.e RF, DPF, or UPF or neither covered under approved working plan of Dalhousie Forest Division. However, the land in question bearing khasra Number 1463/1019 falls in the category of waste land and by virtue of H.P. Govt. notification No. Ft-29-241-BB/49 dated 25-02-1952 (**Copy attached as Annexure-II**) all waste land are treated as forest land and attracts the provisions of IFA 1927. From the perusal of panchayat record, it has been found that Panchayat has constructed link road of length 285 mtrs, out of which 65mtrs constructed in private land and 220 mtrs constructed in Govt land bearing khasra No. 1463/1019 and width 3-4 mtrs in the year 2019-20 for providing communication to the local inhabitants {**Copies of panchayat record attached as Annexure-III (A to T)**}. And later on the local inhabitants widened it and made it pucca with cement concrete. The dimension of concreted stretch is 190 mtr and 30 meter is still kaccha and the average width is 3-4 meter on Govt land bearing khasra No. 1463/1019. The statements of the local habitants were recorded who admitted that they contributed in form of labour and some money to widen and concreting the said stretch of road {**Copies of recorded statements attached as Annexure -IV (A to J)**}.

Further vide Range Officer Dalhousie letter no. 548/Dalhousie Dated 02/09/2022 SHO Sadar Chamba was requested to register an FIR against former Panchayat Pradhan Udaipur & local habitants for widening and concreting the road as per provisions contained in IFA 1927. Accordingly the Roznamcha report is entered by police and matter is under investigation (**Copy of Roznamcha Report attached as Annexure-V**). In addition to this Damage Report No. 018778 dated 02.09.2022 tune to amount Rs. 170125/- has been issued (**Attached as Annexure -VI**).

Since the land in question bearing Khasra No. 1463/1019 kizam charagah billa drakhtaan is in the ownership of the Himachal Pradesh Sarkar and concrete cemented path has been constructed by the Udaipur panchayat and local inhabitants without fulfilling cordal formalities and tantamount to unauthorized occupation of Govt. land and vide Pr. Secretary (Forests) letter no. FFE-B-A(II)-I/2006-III dated 03.05.2016 (**Copy attached as Annexure-VII**), the Revenue Department will proceed under land revenue Act 1954. There hence, vide DFO Office letter no. 4261 dated 14.09.2022 SDM Civil Chamba is intimated to proceed under provisions of land Revenue Act 1954. (**Copy attached as Annexure VIII**). Further it is added that the concerned forest staff and panchayat pradhan Udaipur gave written statements that no tree exist on the stretch of government land where cement concrete road has been constructed. Also google image of year 2017 & 2018 were studied and found that kaccha track/path is visible with scattered bushes where the said road has been constructed and not tree exist over there, hence damage to any tree is not proved as alleged by the complainant(**photocopy of google image attached as Annexure -IX,X**).

This is for your information and necessary action at your end please.


Divisional Forest Officer
Dalhousie Forest Division
Dalhousie
Dalhousie Pir - 176304

Annexure - I (A)

संख्या-तहसील-रीडर-चम्बा- 43 दिनांक 17-08-2022
कार्यालय जायब तहसीलदार तहसील सदर चम्बा जिला चम्बा हि.प्र.

सेवा में,

श्रीमान उपायुक्त महोदय चम्बा,
जिला चम्बा हि.प्र. ।

विषय:- Reg. Hon'ble NGT's order dated 07-07-2022 passed in O.A No. 389/2022,
titled as Satnam Singh vs. State of H.P.

महोदय,

निवेदन है कि आमदा आदेश संख्या/CBA-SK-0323(2)92/7-Voll-VI-3580-81
दिनांक 11-08-2022 कार्यालय उपायुक्त महोदय चम्बा की पालना में विषय उपरोक्त बारा
आवेदन प्राप्त हुआ जिसकी अनुपालना में वादी सतनाम सिंह तथा वन विभाग वन-मण्डल
डल्होजी को वरुये इतलाहनामा दिनांक 16-08-2022 मौका निशानदेही हेतू सूचित करवाया
गया ।

ब्राये निशानदेही खसरा नम्बर 1460/1019, 1461/1019 तथा 1463/1019
सत्यापित छाया-प्रति परत सरकार ईन्तकाल नम्बर 488 अताए नौतोड़ छायाप्रति मुसाबी
खसरा नम्बर 1019 व इद-गिद के खसरा नम्बरॉन, नकल जमाबन्दी खाता 512 मिन/577
मिन खसरा नम्बर 1460/1019 जमाबन्दी वर्ष 2018-19 लफ मूल मिसल किए गए ।

दिनांक 16-08-2022 को हमरा क्षेत्रीय कानूनगो वृत साच व पटवारी पटवार
वृत उदयपुर, राजस्व रिकाड महाल उदयपुर, जरीब व पैमाना के ब्राये मौका निशानदेही मकाम
बाघणू महाल उदयपुर पहुँचा । मौका पर वादी सतनाम सिंह, वन अधिकारी/कर्मचारी
वनमण्डल डल्होजी तथा बाशेन्दगान देह हाजिर मौका पाए ।

मौका पर ईन्तकाल नम्बर 488 अताए नौतोड़ खसरा नम्बर 1460/1019 परत सरकार के करुकान का मिलान परत पटवार के ईन्तकाल से किया गया । मिलान दरुस्त पाया गया । मौका निशानदेही त्रिकोण-मितीय प्रणाली द्वारा हि. प्र. वितायुक्त महोदय के निर्देशानुसार अमल में लाई गई ।

सर्वप्रथम हाजरीन समस्त को जरीब की सेहत/जांच बजरिया फीता व पैमाना की गई। जरीब लम्बाई स्थानीय इकाई अनुसार 23'x 4''(फुटxईंच) पाई गई। जिसे समस्त हाजरीन ने सही व दरुस्त तसब्बर किया। बाये मौका निशानदेही खसरा उपरोक्त पक्के बन्नाजात की तलाश की गई। चांदाजात, मन्दिर, तालाब, गैर मुमकिन रास्ता आदि मुस्तकिल बन्दोबस्ती बिन्दु विवादित स्थल के नजदीक न पाए गए।

बाशिन्दगान देह हाजरीन ने खसरा नम्बर 991, 992, 993 व 994 को यथास्थिति बन्दोबस्ती बताया । जिसकी जांच मौका कब्जा व रिकार्ड राजस्व हाजरीन के की गई। खसरा नम्बर 991 मलकियत चैन लाल पुत्र जलो राम खसरा नम्बर 992 मलकियत सिखो आदि, खसरा नम्बर 993 मलकियत कुलदीप सिंह आदि खसरा नम्बर 994 मलकियत हरीश चन्द्र आदि पाई गई। मौका मुस्तकिल बन्नाजात के बारा मालकान/काशतकारान व बाशिन्दगान देह के ब्यान कलमबन्द किए गए, जो लफ हजा है ।

खसरा नम्बर 992 का चौमिण्डा बजरिया जरीब पैमाईश किया गया। मौका व रिकार्ड 8+6+6+7+13+8 करम मापा गया। खसरा नम्बर 994 का चौमिण्डा पैमाईश किया गया मौका व रिकार्ड राजस्व 5+6+6+6+9+6+9+6+4+10+13 करम मापा गया। खसरा नम्बर 992 की बतरफ उत्तरी-पश्चिमी भुजा जो खसरा नम्बर 994 के बतरफ दक्षिण-पश्चिम बिन्दू तक जाती है, तथा मुताबिक रिकार्ड राजस्व 9+6 करम अंकित है। मौका पर सही व दरुस्त मिलान पाई गई। खसरा नम्बर 994 व 990 बन्दोबस्ती की मध्यवर्ती भुजा जो मुताबिक रिकार्ड 9

करम अंकित है। मौका पर बन्दोबस्ती बीड बन्नाजात के रूप में मौजूद पाई। जिसकी पैमाइश की गई दरुस्त मिलान होना पाया गया।

अतः खसरा नम्बर 994 व 990 की मध्यवर्ती भुजा के दक्षिण मिलान भुजा को बिन्दु "A" माना गया। बिन्दु "A" से बतरफ पूर्व 6+9 करम पैमाइश की गई। जिस बिन्दु पर खसरा नम्बर 998 समाप्त व खसरा नम्बर 992 शुरू होना पाया गया।

खसरा नम्बर 992 की उत्तरी भुजा को बजरिया जरीब 6+6+6 करम पूर्वी भुजा को 8 करम पैमाइश किया गया। जिस बिन्दु पर मुताबिक मौका व रिकार्ड के खसरा नम्बर 992 समाप्त होना पाया गया। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए खसरा नम्बर 991 की पूर्वी भुजा को बतरफ दक्षिण 4 करम पैमाइश किया गया। दरुस्त मिलान मौका व रिकार्ड पाया गया। जिसे हाजरीन समस्त ने सही व दरुस्त माना। अतः खसरा नम्बर 991 के बतरफ दक्षिण-पूर्वी अंतिम बिन्दु को बिन्दु "B" माना गया। बिन्दु "A" से बिन्दु "B" के बीच बजरिया जरीब बतर डालकर पैमाइश की गई, फासला 38 करम पाया गया। जिसका मिलान छायाप्रति मुसाबी बजरिया पैमाना किया गया। दरुस्त मिलान होना पाया गया। जिसे हाजरीन समस्त ने सही व दरुस्त तसब्बर किया।

बिन्दु "B" से खसरा नम्बर 991,992,994,995,998,1017 की पूर्वी भुजा को बतरफ उत्तर पैमाइश किया गया। जोकि 4+8+6+5+8+4+4+30 करम मौका व रिकार्ड राजस्व पाई गई। जिसमें समस्त खसरा नम्बरान 991,992,994,995,998 व 1017 के करुकान मुताबिक रिकार्ड सही व दरुस्त पाए गए। खसरा नम्बर 998 का चौमिण्डा बजरिया जरीब पैमाइश किया गया मुताबिक मौका, रिकार्ड राजस्व व मौका कब्जा के अनुसार दरुस्त मिलान होना पाया गया। अतः खसरा नम्बर 998 व 1017 के बतरफ पूर्वी अंतिम बिन्दु जो 4 तथा 30 करम से आपस में मिलता है को बिन्दु "C" माना गया।

बिन्दू "A" से "C" तक व बिन्दू "B" से "C" तक बतर डालकर बजरिया जरीब मौका पैमाइश की गई। बिन्दू "A" से "C" तक 35 करम व बिन्दू "B" से "C" तक 39 करम फासला पाया गया। जिसका मिलान रिकार्ड राजस्व बजरिया पैमाना किया गया। दरुस्त मिलान होना पाया गया। जिसे हाजरीन ने सही व दरुस्त माना।

बिन्दू "B" से खसरा नम्बर 1460/1019 को बतरफ उत्तर-पूर्व 12 करम बतरफ उत्तर 26+18+14 करम बतरफ पश्चिम 5 करम बतरफ दक्षिण 30 करम पैमाइश की गई। जिसका मिलान बिन्दू "C" से दरुस्त होना पाया गया। प्रत्येक कोनाजात से बजरिया जरीब बतर डालकर मौका तसल्ली की गई। मौका व रिकार्ड के फासला दरुस्त होना पाया गया। जिसे हाजरीन समस्त सही व दरुस्त तसब्बर किया। खसरा नम्बर 1460/1019 के प्रत्येक कोनाजात पर निशान पत्थर व सफेदी लगवाकर हाजरीन समस्त को बताया व समझाया गया।

खसरा नम्बर 1460/1019 के बतरफ उत्तरी-पूर्वी बिन्दू से खसरा नम्बर 1461/1019 के उत्तर-पश्चिमी बिन्दू को कायम किया गया। बजरिया पैमाना इन्तकाल नम्बर 488 ततीमा के अनुसार फासला मापा गया। जोकि 6 करम पाया गया। जिसकी पुष्टि खसरा नम्बर 1017 के उत्तर-पूर्वी बिन्दू से की गई। फासला 8 करम दरुस्त मिलान होना पाया गया। खसरा नम्बर 1460/1019 व 1461/1019 के बीच मुताबिक रिकार्ड 2 करम सरकारी भूमि चरागाह बिला द्रख्तान है। जिसे मौका पर पैमाइश करके समस्त हाजरीन को बताया व दिखाया गया।

खसरा नम्बर 1461/1019 के बतरफ उत्तर-पश्चिमी बिन्दू से बतरफ पूर्व 8 करम बतरफ दक्षिण 35+17 करम बतरफ पश्चिम 10 करम बतरफ उत्तर 18+20 करम पैमाइश की गई। प्रत्येक कोनाजात से बजरिया जरीब बतर डालकर खेत की चौदाई तग

तसल्ली की गई। रिकार्ड व मौका के दरुस्त मिलान होना पाया गया। जिसे हाजरीन ने सही व दरुस्त माना। बिन्दू "B" से खसरा नम्बर 1461/1019 के बतरफ दक्षिण-पश्चिम बिन्दू को बजरिया जरीब बतर डाला गया। फासला मुताबिक रिकार्ड व मौका के 32 करम पाया गया।

बिन्दू "C" से खसरा नम्बर 1461/1019 के उत्तरी भुजा के दोनो बिन्दुओं को बजरिया जरीब बतर डाला गया। फासला 36 करम व 40 करम पाया गया। जिसे हाजरीन ने सही व दरुस्त माना। त्राये पैमाइश खसरा नम्बर 1463/1019 बिन्दू "C" से बतरफ उत्तर $30+2+2+6+8$ करम, बतरफ पूर्व 27 करम, बतरफ दक्षिण $35+17+6+14+3+6+3+3+11+15+10$ करम पैमाइश की गई तथा बिन्दू "B" से खसरा नम्बर 1463/1019 को बतरफ दक्षिण $8+7+6+9+10$ करम पैमाइश की गई। प्रत्येक कोनाजात पर निशान पत्थर व सफेदा लगवाकर हाजरीन को बताया व समझाया गया। मौका पैमाइश को समस्त हाजरीन ने सही व दरुस्त तसब्बर किया।


बरखत निशानदेही खसरा नम्बर 1463/1019 पाया गया कि खसरा नम्बर 1463/1019 मालिक सरकार हिमाचल प्रदेश मकबूजा मालिक व बर्तनदारान मुताबिक नक्शाबर्तन की भूमि पर एक अदद सड़क तथा एक अदद मकान पक्का लेंटरपोश पाया गया। मौका पर लेंटरपोश मकान श्रीमति निर्मला पत्नी चैनलाल निवासी बाघणू द्वारा बनाया तस्दीक हुआ। जिसकी मिसल नाजायज कब्जा क्षेत्रीय राजस्व इकाई द्वारा तैयार की जाकर तहसील कार्यालय में प्राप्त हो चुकी है। मुताबिक मौका खसरा नम्बर 1463/1019 में मुख्य सड़क NH-154-A से खसरा नम्बर 1020 तक सरकार हिमाचल प्रदेश मकबूजा मालिक व बर्तनदारान मुताबिक नक्शाबर्तन की भूमि गैर मुमकिन सड़क बनी है। जिसका अधिकांश भाग बजरीयुक्त व आंशिक भाग कच्चा है। समस्त हाजरीन ने मौका निशानदेही को सही व दरुस्त माना। बाद निशानदेही समस्त हाजरीन के ब्यान कलमबन्द किए गए जोकि लफ हजा हैं।

निष्कर्ष : मुताबिक आदेश माननीय उपायुक्त महोदय चम्बा की अनुपालना में मौका पर खसरा नम्बर 1460/1019, 1461/1019 की निशानदेही बजरिया जरीब की गई। खसरा नम्बर 1463/1019 की निशानदेही विवादित स्थल तक की गई। मौका निशानदेही मुस्तकिल बिन्दुओं से त्रिकोणमितीय प्रणाली द्वारा हाजरीन वादी, वाशिन्दगान देह व वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति में अमल में लाई गई। बरवक्त मौका निशानदेही खसरा नम्बर 1460/1019, 1461/1019 व 1463/1019 किता 3 की बाह्य सीमा पर निशान पत्थर व सफेदी लगवाकर हाजरीन समस्त को बताया व समझाया गया। मौका निशानदेही का समस्त हाजरीन न सही व दरुस्त तसब्बर किया। खसरा नम्बर 1463/1019 में मुख्य मार्ग NH-154-A से खसरा नम्बर 1020 तक सरकारी भूमि में गैर मुमकिन सड़क मौका पाई गई तथा एक अदद गैर मुमकिन मकान लेंटरपोश पाया गया। मकान निर्मला पत्नी चैनलाल निवासी बाघणू का तस्दीक होना पाया गया, जिसकी मिसल नाजायज कब्जा क्षेत्रीय राजस्व इकाई द्वारा तैयार की जाकर तहसील कार्यालय में प्राप्त हो चुकी है। समस्त हाजरीन न मौका निशानदेही का सही व दरुस्त माना। बाद निशानदेही समस्त हाजरीन के ब्यान कलमबन्द किए गए जोकि लफ हजा हैं।

अतः मूल आवदन निशानदेही रिपोर्ट सहित महोदय की सेवा में पेश है।

सलंगन:-ब्यान वाशिन्दगानदेह (पाअददपृष्ठ)

भवदीय



नायब तहसीलदार
तहसील सदर चम्बा
जिला चम्बा हि.प्र.

1.	छात्र भीमराज निमला देवी महिला मण्डल प्रधान गाँव काधजू तहसील
2.	" " दुर्गा देवी 570 पामपीत गाँव विला चम्बा वडम 60 वर्ष
3.	" " करलारासि 570 चन्दलाल " " " " 60 वर्ष
4.	" " अमरासि 570 जलकाम " " " " 61 वर्ष
5.	" " पिंकी देवी 1570 तनसि 55 वर्ष
6.	" " सुनी देवी 1570 सुरिन्द्रसि 39 वर्ष
7.	" " सुरखा देवी 570 दिनेश " " " " 30 वर्ष
8.	" " अजीतकुमार 570 दीनानाथ " " " " 45 वर्ष
9.	" " उषा उमा 570 सुनील " " " " 32 वर्ष

मुसलाका छात्र किशो कि अजा दिनांक 16.08.2022 को कार्य सौका निशानदेही खता नम्बर 1460/1019, 1461/1019, 1463/1019 किता 03 रकबा 10-02-हवीण की सौका निशानदेही करारिया जरीब सौका पर जायदा तहसीलदा चम्बा हारा वीगई तथा सौका पर वनी सड़क रास्ते का संयुक्त निरिक्षण उपायुक्त महोदय-चम्बा की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा किया गया। सौका पर भूद है ही यह रास्का था। सौका पर जो सड़क/रास्का बना है यह हम गाँव-वासियों ने आपसी सहयोग से बना है यह खर्च नहीं होना चाहिए। इस सड़क/ रास्के से हमें 6 गाँव-वासियों को लगभग 35-40 परिवारों को फायदा होता है उन जगह पर भूद है ही मात्र आदिमां था। कोई भी दखलन मांगू नहीं था। सौका निशानदेही को हमने देखा लिया है जिस कारा हमारा कोई भी खर्च व खताप नहीं है।

1. निमला देवी 2. करलारासि 3.

4. अमरासि

5. सुनी देवी 6. सुनी देवी

8. सुरखा देवी

जमान गरी कोकरासिह उधान ग्राम पंचायत उदयपुर तहसील व जिला चम्पा
व 35 59 वर्ष

जमान किशु कि आज दिनांक 16-08-2022 को खसम गन्ना
1460/1019, 1461/1019, 1463/1019 किरा 03 रकम 10-02-00/पा

महान की मौका निशानदही निमाग जायत तहसीलदा महोदय महो
होका जन्दाबानी सुस्तकिल जन्दाबानी से मौका पर लीगरी तथा

मौका पर जनी सभक/पासा का सुस्तकिल निदिशु उपायुक्त महोदय महो
की कष्टपशना से निमित्त विमागी के अधिकारियों/कर्मचारियों

होका किमा गमा/मौका पर जने रास्ते/सभक से थुह से शिरासा
वा/जिस स्वामीय लोग अपने माल-सम्पत्तियों के लिए व स्वयं
के लिए प्रयोग करते चले आ रहे हैं और कार्यकाल वगैरह जमान

इसका मूल्य है ₹ 3,00,000/- तीन लाख त्रिकुल हुए थे वस्तु
खर्च न किए गए। पूर्व से जने हुए रास्ते की स्वामीय लोगों व

अपने सहयोग के कुछ छोड़ा करके पक्का किया हुआ है जिस रास्ते
सभक से गाँव के लगभग 35-40 परिवारों का माइका होता
है उसका रास्ता प्रचारित लोगों की सहूलियत के लिए रहना

चाहिए। जन्म न होना चाहिए। मौका निशानदही को गुण देकर
लिमा है जिस वारा मेरा कोई भी उत्तर व स्तान नहीं है।

जमान मेरा गरी जमान है जमान पुन व समक लिमा। जिस वारा
व दाता वगैरह किमा।

Attested
15/08/2022

Signature
3224494

* ध्यान भी करतारसिंह पुत्र चन्द लाल गाँव वाघपूर (उदयपुर) तहसील नम्बर ६ अ/६/१९६
 " " इमरसिंह " जलौराम " " " " " " ५५९६
 " भीमसिंह निमलादेवी प्रधान महिला मण्डल " " " " " " ६०९६

मुश्तरका ध्यान किया कि आज दिनांक 16-08-2022 को गोमान
 नाथक तहसीलदार महोदय चम्ब व हमरा क्षेत्रीय कानूनगो व पत्वारि
 धृत उदयपुर ज्येष्ठ मौका निशानदेही खसरा नम्बर 1460/1019
 1461/1019 व 1463/1019 किला 03 रकबा 10-02-00 बीघा वसगा गहाल
 उदयपुर वसकाम वाघपूर आर। तथा बन्दोबस्ती मुस्तकिल वनजात
 से हर-एक खेत चोमिडा पैसाईश काले प्रिमुप प्रवाली है रकबा
 उपोचन की मौका निशानदेही की। मुस्तकिल वनजात को हमने
 देख लिया है। प्रत्येक खेत की बीड़ बन्दोबस्ती यथावत मौजूद है।
 खसरा नम्बर 991, 992, 994 के प्रत्येक कोनाजात को पैसाईश काले
 बिन्दू ABC कागस काले मौका निशानदेही की गई। मौका वनजात
 को हमने देख लिया है। जिस वारा हमारा कोई भी डार व देतासुकी
 है वस हमारा मही ध्यान है। ध्यान हुन व समझ लिया। जिसेमि
 व दस्तान माना।

1. महाराष्ट्र
 2. R.O. A.L.
 3.

Attested
 [Signature]
 1/8/2022

प्लान श्री सातनाम सिंह पुत्र बरकराम गाँव/मुहल्ला जुल्लाहपुर तहसील
व जिला चम्बा व उम्र 60 वर्ष

प्लान किया कि आज दिनांक 16-08-2022 को भीमन नाथ
तहसील मुख्यालय चम्बा व सातनाम इकाई सातनाम इकाई सातनाम
व्यवसाय लाहौली गाँव मौजा निशानदेही खसता नम्बर 1460/1019
1461/1019, 1463/1019 कित्ता 03 खसता 10-02-00 बीघा महान उद्योग
आए/ तथा खसता नम्बर मुस्ताकिल खसता नम्बर से उपरोक्त
खसता की मौजा निशानदेही की मौजा पर वकील सड़क का
संपुर्ण निरिहता उपायुक्त महोदय चम्बा की अध्यक्षता में
विभिन्न विभागों के अधिकारियों/अधिकाओं द्वारा मौजा पर किया
गया।

प्लान किया कि जब मैंने खसता नम्बर 1460/1019 व 1461/1019 खसता
02-09-00 बीघा जमीन खरीद की थी। उस समय मौजा पर वकील
भी सड़क नहीं थी। मात्र एक छोटा सातनाम/पगाडोरी थी। जिस
स्वामीय लोग आते-जाते थे। पगाडोरी/पल्ला इतना सफेद
कि मात्र एक-2 सड़क का जाना-जाना ही सकता था।
की-तीन वर्ष के अन्तर्गत ही सड़क पूरी जिसने सड़क
भवन बना खसता है। ने खसता नम्बर मौजा पर सड़क पगाडोरी
वडा/चाँदा काने कपारी डालकर चम्बा बना दिया है जिस
कारण मैंने समय-2 पर वकील-विभाग की भी शिकायत
करवा रहा। लेकिन वकील-विभाग ने इस कार्य को रोकने का
कोई कार्यवाही नहीं की। वकील-विभाग को कहना था कि
मौजा पर बनाई गई सड़क/सातनाम-पगाडोरी विलासतान में
शुद्ध है।

प्लान किया कि मौजा पर मेरी जमीन सजाकर के बीच की
सातनाम/पगाडोरी शुद्ध है। वह उसी रूप में होनी चाहिए।
य - वकील-विभाग की कपारी डालकर

सौका पर कोई गड़ निशान देही वारा मेरा कोई भी उज्द व
शैलाच नही है मैंने अपनी मजदारीपती जमीन को देख
लिया है वाम मेरा यही खान है खान पर सुन व मसक
लिया / चिले लही व दफान जाना /

Attested
16/08/2022

R. O. P. A. P.

16/8/2022

1. व्याज भी मनोज कुमार वनखोस अधिकारी पनेड वनमण्डल इन्डोनी जिला-चम्बा
2. " " वीरज कुमार वनरथक मनोला वीर " " " "
3. " " गणेश कुमार " उदमपुर वीर " " " "
4. " " राहुल मेगा " " सिंगी वीर " " " "
5. " " हितेश बालबाम पटवारी वन मण्डल इन्डोनी " " " "

मुझसे कहा जान कि आज दिनांक 16.08.2022 को जाते मौका निशानदेही खसरा नम्बर 1460/1019, 1461/1019, 1463/1019 किता 03 खसरा खसरा 10-02-10 वीका मुताबिक आदेश संख्या - CBA-SK-032(2)92/7-VII-V 3580-81 जिला राजा-9 अधिकारी जिला-चम्बा के राजा-9 अर्का महान उदमपुर, जिला व पैमाना लीट वसकाम जाधरु आर/ तथा मौका पर भीमान नामक तहसीलदार महोदय चम्बा ने जगदिसा, जिला मुताबिक खसरादेवानी खसराजात है खसरा उपरोक्त खसरा 10-02-10 वीका को मौका निशानदेही को मौका पर समान खसरा को कबुल लीक को निन्दित कार्य परके निशान पक्का लखवा कर जाणा व दिखवाया गया। जिसे हमने देख लिया है। मौका निशानदेही द्वारा हमारा कोई भी ऊपर व खसरा नहीं है। वस हमारा भी खसरा है। खसरा सुन व समझ लिया। जिसे लही व दफतारतमबक किता R'ouDe.

Attested
 [Signature]
 16/8/22

1. Forest Block office Chamed.
2. Ward 11/Chameda Beat.
3. Forest Block office Chamed beat
4. Palhara 1/c Singi Beat
5. H. B. Jaiswal Palhara 16/8/22

क्रमांक:- 42 dt-01-09-2022

कार्यालय ग्राम पंचायत उदयपुर
विकास खण्ड चम्बा(हि०प्र०)

प्रेषित:-

रेंज फारेस्ट ऑफिसर

इल्होली फारेस्ट रेंज

विषय :-वर्क of लिंक रोड from मैन रोड to vill. बागणू निर्माण कार्य की मांगी गई
सुचना बारे :-

आपके कार्यालय पत्र संख्या के संदर्भ में 527/दिनांक 30-08-2022 अनुसार वर्क
of लिंक रोड from मैन रोड to vill. बागणू निर्माण कार्य की मांगी गई सुचना निम्न प्रकार से है

- (1) स्वीकृति
- (2) खतुनी
- (3) कार्य स्वीकृत प्रांकलन
- (4) प्रथम किस्त कमेटी प्रपत्र
- (5) गावं वासी आवेदन
- (6) (MB) मूल्यांकन

अंतः आपके द्वारा मांगी गई सुचना आपकी सेवा में प्रेषित की जाती हैं

सचिव
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत उदयपुर
विकास खण्ड चम्बा (हि० प्र०)

पृष्ठांकन संख्या:-

प्रतिलिपि:-श्रीमान खण्ड विकास अधिकारी चम्बा जी की सेवा में सूचनार्थ ।

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत उदयपुर
विकास खण्ड चम्बा (हि० प्र०)

दुर्गा महिला मण्डल - बागणू
गा० पं० उदयपुर, तह. व जिला चम्बा हि० प्र०)

दिनांक _____

सेवा में,

खण्ड विकास अधिकारी चम्बा
चम्बा

विषय :- मेन रोड से गांव बागणु तक पक्का
जीपरोड रोड व पक्का पाथ बनाने
बारे :-

महोदय :- यह है कि गांव बागणु में जो मेन
रोड से लिंक रास्ता बना है उस रास्ते
पर लगभग 30-40 मकानों के लोगों
का आना जाना है व पुराना रास्ता है अतएव
इस रास्ते को पक्का या जीप रोड बनाया
जाए तो गांव बासी को काफी सुविधा
होगी क्योंकि छोटे-बच्चे को स्कूल व
बुजुर्ग लोगों को बिमार होने पर उठाकर
अड़क तक पहुंचाना पड़ता है। अतः गांव
बासी उपरोक्त रास्ते को पक्का व
जीपरोड रोड बनाने की मांग करते
हैं।

- 1 रतनी शमस्त गांव बासी
- 2 ABH
- 3 Devi
- 4 Ice

जिला चम्बा (हि० प्र०)

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत उदयपुर
विकास खण्ड चम्बा (हि० प्र०)

- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50

प्रक्रियांक 1883-84

प्रेषित:-
विषय:-
आपन:-

कायलिय खण्ड विकास अधिकाारी विकास खण्ड

विभाग/ पंचायत

साम पंचायत

दिनांक- 1/3/2002

Other Head के अन्तर्गत कार्य

आपकी पंचायत में

स्वीकृती के अन्तर्गत कार्य की लागत अनुसार व्यय की जाये

क्रम संख्या	कार्य का नाम	स्वीकृती राशि	स्वीकृती अंश	संख्या
1	Jeeproad Link Road from vill. Udaspur to Bhagnu	2,00,000	0.50	30289

कार्य की राशि निम्न शर्तों अनुसार व्यय की जाये

1. राशि की शेष अदायगी कार्य की प्रगति अनुसार कनिष्ठ अधिकारी पर ही की जायेगी।
2. इस पत्र के जारी होने के 06 मास के भीतर-2 कार्य शुरू आवश्यक है।
3. इस कार्यालय द्वारा आपको कार्य हेतु कोई भी सामग्री जारी नहीं है। पंचायत अपनी सारी सामग्री हि0 प्र0 राज्य प्राणिक उय खण्ड आर्किटेक्चर एण्ड इन्फ्रस्ट्रक्चर से ही लेना होगा।
4. कार्य स्वीकृत प्रकलन जर्नल के आधार पर गुणवत्ता व सफेसिपियंस के साथ रखते हुए किया जायेगा।
5. कार्य हेतु कोई अतिरिक्त राशि नहीं दी जायेगी। कार्य को विभिन्न स्तरों पर कनिष्ठ अभियन्ताओं/ तकनीकी सहायकों की देखरेख में किया जायेगा।
6. भवन निर्माण व अन्य सामग्री कार्य की प्रगति की वृत्त वीथी सिविल इंजीनियरिंग कार्यालय के कनिष्ठ अभियन्ता व तकनीकी सहायक को देना अति आवश्यक है।
7. कार्य शुरू करने पूर्व सुनिश्चित कर लें कि इस कार्य से लाभ से लाभ परिवारों को लाभ पहुंचता हो।
8. पंचायती राज वितीय नियम 2002 के विभाग 93 की अनुपालना में यदि पंचायत चाहे तो कार्य पंजीकृत संस्था/ पंजीकृत यजेटी द्वारा करवाया जा सकता है किन्तु एक समय में एक ही कार्ययजेटी को आवंटित किया जा सकता है किन्तु एक प्रकार के आवंटित कार्य के लेखा-जोखा/ आधिकारिता की स्थिति में अनुपालना के लिए जिम्मेदार होगी और कार्य में लगे मजदूरों/ सामग्री वीथ द्वारा प्रदान की जायेगी। विकास

- 9 पंचायत को अनौपचारिक प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाने पर किसी कमेटी को कार्य आवंटित करने का निर्णयानुसार कार्य प्राथमिक नहीं है ।
- 10 अनुसूचित पत्र परिशिष्ट 11 6 बी-पैरा 52 के अन्तर्गत दर्शाई गई कम संख्या 1 से 13 तक की धर्म व खुशगामों की कार्य भी पालना की जायेगी ।

निर्माण कार्य पंचायती राज नियम 93:19 के अन्तर्गत करवाया जाए

- 11 कार्य कुशलता को ध्यान में रखते हुए स्थानीय मजदूरों की ही प्राथमिकता दी जाए ।
- 12 एक एक हेक्टर 10 प्रतिशत राशि भी लेकी जा सकती है ।
- 13 अनौपचारिक कार्य हेतु स्वीकृत राशि को उपरोक्त केवल कार्य पर ही किया जाए तथा अन्य उद्देश्य के लिए इस राशि का खर्च नहीं किया जाए ।
- 14 यदि राशि का दुरुपयोग किया जाता है तो उस स्थिति में कार्य निर्माण समिति प्राप्त की गई पूर्ण धनराशि को 18 प्रतिशत ब्याज सहित वापस करने के लिए बाध्य होगी ।
- 15 यदि कार्य किसी और मद से स्वीकृत हो गया है तो राशि को वसूल अर्थोत्पादकी को वापस भेजा जाये ।
- 16 हर आर्थिक विवरण में उपरोक्त कार्यों की प्रगति रिपोर्ट पंचायत द्वारा तैयार की जायेगी जो कि लिखित रूप में देना अनिवार्य है ।
- 17 कार्य आरम्भ होने से पूर्व हर प्रकार की औपचारिकताएँ पूर्ण कर ली जायें जैसे जमीनी कानूनात इत्यादि ।
- 18 कार्य शुरू करने से पूर्व कार्य समिति की जमीन पंचायत या सम्बन्धित विभाग के नाम पर करवाना पंचायत की जिम्मेवारी होगी व भूमि सम्बन्धी किसी भी विवाद को उत्तरदायित्व पंचायत पर होगा ।
- 19 कार्य स्थान पर किसी भी प्रकार की आपत्ति के जिल पंचायत स्वयं जिम्मेवार होगी ।
- 20 एन आर जी पी के अन्तर्गत श्रम रोजगार प्रदान किया जाये ।
- 21 कार्य पर लगे हुए मजदूरों को मजदूरी की अदायगी का भुगतान बैंक द्वारा किया जाये ।
- 22 कार्यों के तीन महीने आरम्भ, मध्य व अन्त में लिए जायेंगे ।
- 23 कार्य के साईन बोर्ड का बनावट अति आवश्यक होगा ।

पं. 1885-87.....

ग्राम विकास अधिकारी
विभाग ग्राम विकास
दिनांक ...7.3.19.....

प्रतिकोपी :-
1. समस्त अधिकारी/-
2. जमीनी सहायक ग्राम पंचायत
3. ग्राम सहायक (जिला) पंचायत
ग्राम पंचायत अध्यक्ष
विकास सहायक (वि. प्र.)

7/3/19
ग्राम विकास अधिकारी
विभाग ग्राम विकास

(F)

उत्तर

विवाद किया जाता है कि निम्न कार्य C/D नॉन-वेजिटेबल एरिया के अन्तर्गत सरकारी भूमि विहीन स्थिति में भूमि पर कर लगा जा रहा है इस भूमि पर किसी भी प्रकार का भूमि विवाद नहीं है और वही पर कर लगाने का निर्णय किया जा रहा है। उक्त कार्य के लिए पहलें कोड भी ध्यान में रखे जायेंगे। निम्न कार्य नॉन-वेजिटेबल एरिया के अन्तर्गत हलें नं. 553, 551 के अन्तर्गत आते हैं। यदि निम्न कार्य में कोई भी अनियमितता पाई जाती है या भविष्य में पाई जायें तो निम्न कार्य पदाधिकारी निजी लाभार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। उपरोक्त कार्य के भूमि सम्बन्धी अभिलेख में त्रुटि प्रस्तुत किया गया है प्रस्तुत किये गये भूमि सम्बन्धी अभिलेख अनुसार ही उपरोक्त खतोनी नं. 553, 551 खसरा नं. 1463/1 अण. पर ही करवाया जा रहा है। उक्त कार्य किसी दूसरी जगह पर किया जायें तो भूमि विवाद उत्पन्न होता है तो भविष्य में निम्न कार्य पदाधिकारी निजी लाभार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा और यदि भूमि सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता है तो भी वे उत्तरदायी होंगे।

भवदीय पंचायत पदाधिकारी
 नाम: ~~...~~ K LASHC
 पद: ~~...~~
 ग्राम पंचायत
 विकास खंड चण्डिका

पंचायत सचिव
 ग्राम पंचायत
 विकास खंड चण्डिका

(G)

कार्यालय ग्राम पंचायत उदयपुर विकास ग्राम जिला चम्पा (हि.प्र.)
पथम विगत हेतु आरम्भ

कार्य का नाम जीप रोड /लोक रोड से गाँव उदयपुर से बगाम्पु

मद. MPLADS (Lok Sabh) स्थित राशि 200000

कार्य अवधि तय आरम्भ की तिथि

कार्य के लिए तकनीकी सहायक का नाम श्री भरीश कुमार

निर्माण समिती का विवरण

क्र.सं	नाम व पता	पद
1	श्री मति कलासी प्रधान	अध्यक्ष
2	श्री क्लेश देस राज पुत्र धरम्पु गाँव डाम्पु	उपध्यक्ष
3	श्री मति रेखा देवी पत्नी रविन्द्र गाँव डाम्पु	सचिव
4	श्री पृथ्वी चन्द पुत्र केसर गाँव डाम्पु	उपसचिव

सतर्कता समिती का विवरण

क्र.सं	नाम व पता	पेशा
1	श्री जर्मो पुत्र रावण गाँव गोठली	कृ०
2	श्री अशोक कुमार पुत्र चैन लाल गाँव गोठली	कृ०
3	श्री ईश्वर सिंह पुत्र जमीत सिंह गाँव गोठली	कृ०

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण पंचायत प्रस्ताव संख्या ---04--- दिनांक ---25/01/2012--- अनुसार लिखा गया है जो कि कार्यवाही रजिस्टर में विद्यमान है और सतर्कता समिती व तकनीकी सहायक को सूचित कर दिया गया है तथा इस कार्य का मसौदा पंचायत कार्यवाही अनुसार प्रधान श्री मति कलासी को जारी किया जाएगा। पंचायत द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त निर्माण कार्य सरकारी भूमि / निजी भूमि पर करवाया जा रहा है जिसका खतौनी सं 553/551 --- व खसरा सं - 1453/1019 --- है तथा इस भूमि पर किसी भी प्रकार का भूमि विवाद नहीं है। जिस में भूमि का --- शपथ पत्र --- दिया गया है।

ग्राम प्रधान KLASHI

सचिव [Signature]

केवल कार्यालय प्रयोग के लिए

Name of work Jeep Road from Dampu to Khasra No. MPLAD

Sanction Amount 2,00,000 Sanction Order No. --- Dt. ---

Technical Sanction No. --- WRP: 77

The GP has framed the working committee as well as the monitoring committee for the above said work. The estimate duly approved is also placed on the work file. Hence if approved the 1st inst. GO. 000/ may please be released to GP [Signature]

B.D.C. [Signature]

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत उदयपुर
चम्पा (हि.प्र.)
Year --- Lp ---

Head --- Instl. --- Only

Sanctioned an Amount for --- Only

Block Dev. Officer

नकल जमावदी

पत्रांक नं. 16

वित्त वर्ष 2013-2014

राज्य सरकार

विकास विभाग, नई दिल्ली

क्र.सं.	विवरण	राज्य सरकार	विकास विभाग	नई दिल्ली
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

पंचायत
 ग्राम पंचायत
 विकास विभाग (वि. प्र.)

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER, CHAMBA (H.P.)

(1)

Number: CHAMBA/Yojna/MPS/ 30209

Date: 11-9-18

Sanction Order

Administrative approval and expenditure sanction for the following work(s) is/are hereby accorded for the

117-2018

Under Head: MPLADS (Lok Sabha)

Agency: BDO, Chamba

Scheme ID and Name	Sanctional	Sector	Sanctioned Amount
MPS/2017/42, C/O (Construction of) JEEP ROAD/LINK ROAD FROM VILLAGE UDAIPUR TO BHAGNU	UDAIPUR	Kangra	200000
Total Amount			

Sanction(s) is/are subject to the following conditions

- The Sanctioned Work(s) will preferably be got executed through the concerned Deptts./Departmental technical manpower available in the District/Pradesh.
- The works(s) should be executed in accordance the approved estimate(s) design(s) The Technical Officer/authority that technically approved the estimates will also be competent to assess the work(s) and authorize the disbursement of payments.
- The expenditure should be restricted to the actual amount sanctioned during the relevant financial year.
- All the payments should be made on regular bills/vouchers duly endorsed by the concerned authority. The works(s) should be completed within relevant financial year or within one year from the date of sanction.
- The estimate(s) of the proposed work(s) should not contain departmental charges.
- The sanctioned developmental work(s) should lead to a community/area benefit.
- The UC/CC of the sanctioned work(s) should invariably be sent to this office as per the time schedule fix for the completion of the work(s).
- The sanctioned funds can however partly be utilized for the purchase of materials/equipments needed for the works/projects and should be consumable in the process of implementation but no store articles can be purchased.
- The revision of estimate(s) sanctioned(s) is not allowed.
- To avoid delays in the execution of the sanctioned developmental work(s) as per the time schedule(s) fixed the executive agency(ies) should necessary get N.O.C. from the concerned departments / board(s) corporations(s) / forests/ nagar panchayat(s) etc. and in case of private land involved for the execution of the sanctioned work(s) N.O.C(s) on the affidavits from the private land owner (s) should invariably be obtained well in advance and necessary entries in the revenue record be got effected as funds can not be used for payments of any type of compensation.
- Besides these, all other costal formalities including those contained in guidelines should be strictly adhered to.
- The monthly physical and financial progress report be sent to this office by the 10th of every month.
- No recurring revenue expenditure will be provided under the scheme.

as above

4-29 Oct 18/11/18

Copy to BDO 11/9/18

By Order

Deputy Commissioner
District CHAMBA (HP)

- D.A.G. (A&E) Shimla -3
- Advisor Planning, HP Government Shimla -2
- A.G. H.P. Shimla -3

Refered to D.P.O. 11/9/18

BDO, Chamba With the request to initiate above works immediately UC & CC should be sent to this office after the completion of Work Ch.No 790375 Dated 11-09-2018 Amount 200000-00

Copy to Gaurd File

District Planning Officer
District CHAMBA (HP)

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत उदापुर
विवाह सभागृह चम्बा (हि प्र)

Sanction Order for IDs: MPS/2017/42, 1 Schemes Amounting 200,000.00

05/09/2018

DA (secy) JE / SB / Guard File

Amo

(J)

NAME OF WORK:--C/O LINK ROAD MAIN ROAD TO BHAGNU G.P.
CHAMBA (H.P.)

(PART - A) - 52300.00

(PART - B) - 147700.00

TOTAL - 200000.00

TOTAL ESTIMATED COST: - 200,000/-

(TWO LAC ONLY)

Technical Assistant
Gram Panchyat
Dev. Block Chambe (H.P.)

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत उदयपुर
विकास खण्ड चम्बा (हि.प्र.)

(K)

(PART ---A)

ABSTRACT OF COST

S.N.	DESCRIPTION OF ITEMS	QTY	UNIT	L.RATE	L.RATE	L.RATE AMT.	L.RATE AMT.
1	Excavation in soil in Hilly Area by mechanical means including cutting and trimming of side slopes and disposing of excavated soil with a lift up to 1.5 mtr. And a lead up to 20 mtr. As per Technical Specification Clause 1603.1.	15.38	CUM.	11.30	84.90	6953.74	52245.34
						6953.74	52245.34
						1043.06	7836.80
						5910.68	44408.54
							7388.35
							51796.88
							52000.00

Deduct 15%(10% C.P. +5% O.H.C.) (-) 1043.06

Net Qty = 5910.68

Add 125% Labour Enhancement (+) 7388.35

On SAY — 51796.88

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत उदयपुर
विकास खण्ड चम्बा (हि प्र०)

Technical Assistant
Gram Panchayat
Dev. Block Chamba (H.P.)

(2)



















NAME OF WORK:----C/O JEEPABLE ROAD MAIN ROAD TO BAGNU G.P. UDAIPUR DEV. BLOCK CHAMBA (H.P.)

R/D(MTR.)	X-SECTION AREA			TOTAL(SQM.)	MEAN AREA(SQM.)	LENGTH(MTR.)	TOTAL QTY.(CUM.)
0.00	1/2	4.50	3.00	6.75	0.00	0.00	0.00
15.00	1/2	4.00	2.00	4.00	5.38	15.00	80.63
30.00	1/2	3.00	4.00	6.00	5.00	15.00	75.00
45.00	1/2	3.00	3.50	5.25	5.63	15.00	84.38
60.00	1/2	2.00	3.00	3.00	4.13	15.00	61.88
75.00	1/2	3.00	2.50	3.75	3.38	15.00	50.63
90.00	1/2	3.70	2.50	4.63	4.19	15.00	62.81
105.00	1/2	3.00	0.45	0.68	2.65	15.00	39.75
120.00	1/2	3.00	0.30	0.90	0.79	15.00	11.81
135.00	1/2	3.00	0.30	0.90	0.90	15.00	13.50
150.00	1/2	3.00	0.30	0.90	0.90	15.00	13.50
165.00	1/2	3.00	0.30	0.90	0.90	15.00	13.50
180.00	1/2	3.00	0.30	0.90	0.90	15.00	13.50
195.00	1/2	3.00	0.30	0.90	0.90	15.00	13.50
210.00	1/2	3.00	0.30	0.90	0.90	15.00	13.50
225.00	1/2	3.00	0.30	0.90	0.90	15.00	13.50
240.00	1/2	3.00	0.30	0.90	0.90	15.00	13.50
255.00	1/2	3.00	0.30	0.90	0.90	15.00	13.50
270.00	1/2	3.00	0.30	0.90	0.90	15.00	13.50
285.00	1/2	3.00	0.30	0.90	0.90	15.00	13.50
TOTAL QTY.=							615.38
							Cum.
							PICK/JUMPER

पंचायत सचिव
 ग्राम पंचायत उदायपुर
 विकास खण्ड चम्बा (हि प्र०)

Technical Assistant
 Gram Panchayat
 Udaipur, Chamba (H.P.)

(m)



पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत चम्बा
विकास एण्ड चम्बा (हि.प्र.)

Technical Assistant
Gram Panchayat
Dev. Block Chamba (H.P.)

(N)

(PART---B)

ABSTRACT OF COST

S.N	DESCRIPTION OF ITEMS	QTY	UNIT	L.RATE	L.RATE AMT.
1	Excavation in Foundation trenches etc. in the earth work in all kinds of soil up to all heights stacking the excavated soil not more than three mtr. Clear span from the edge of the excavated soil to retaining the excavated soil in 15 cm. layers when required in the plain spots of foundations etc. Pick/Jumper work (50%) each.	9.00	Cum.	167.55	1507.95
2	Providing Form Work with steel plates 3.15mm thick welded with angle iron in frame 30*30*5mm. so as to give a rough finish including centering, shuttering, strutting and propping etc. with wooden battens and batties.	31.13	Sqm.	52.15	1623.17
	Providing and laying cement conc. (1:5:10) 1 cement:5 sand:10agg. 40mm nominal size & with 15% plum and curing complete excluding cost of form work in R/wall/Bresset walls. the Size of plums shall usually be 150mm to 300mm. as per H.P.W.D. Specification.	31.50	Cum.	408.20	12858.30
					15989.42
Add Carriage of Materials (+)					1598.35
Deduct 15% (10% C.P.+ 5% O.H.C.) (-)					17587.77
					2638.16
Add Collection of Materials (+)					14949.60
					1400.63
Add 125% Labour Enhancement (+)					16350.23
					20437.78
Add Cost Of Materials (+)					36788.01
					110990.43
					147778.43
OR SAY--					147700.00

Technical Assistant

Gram Panchayat



Dev. Block

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत अदपुर
निकास खण्ड अम्बा (हि प्रो)



(P)

PROJECT DRAWING OF PROTECTION WALL (CONC.)




R

FRONT / ELEVATION

[Signature]
Technical Assistant
Gram Panchayat
Dcv. Block Chamba (H.P.)

(9)



~~Technical Assistant
Gram Panchyat
Dev. Block Char... (M.T.)~~

प्रमाणित
ग्राम पंचायत
विकास
(M.T.)

Particulars	Details of Actual Measurements				Contents
	No.	A	B	D.	
NO. 1421 C/O Link Road					or 10000 Yll
Meas to Bagnu.					
Meas to MPLAD					
S. A. to 2007 0001					
Agency - G.P. Udaipur					
SWD Excavation in 80' x 40' in Hillay Area by mechanical means including cutting & trimming of slopes & disposing of excavated material with a lift up to 1.50					

MTR. & level up to 20 MTR.
 As per Technical Specification
 Clause 1603.1

R/O	Cross-section	mean	length	Qty
0.00	1/2 x 4.50 x 3.00 = 6.75	0.00	0.00	0.00
15.00	1/2 x 4.00 x 2.00 = 4.00	5.38	15.00	80.63
30.00	1/2 x 3.50 x 1.50 = 2.625	6.00	15.00	75.00
45.00	1/2 x 3.00 x 3.50 = 5.25	5.63	15.00	84.38
60.00	1/2 x 2.50 x 3.00 = 3.75	4.18	15.00	61.88
75.00	1/2 x 2.00 x 2.50 = 2.50	3.38	15.00	50.63
90.00	1/2 x 1.50 x 2.00 = 1.50	3.75	15.00	56.25
105.00	1/2 x 1.00 x 1.50 = 0.75	2.21	15.00	33.19
120.00	1/2 x 0.50 x 1.00 = 0.25	0.68	15.00	10.13
135.00	1/2 x 0.50 x 0.50 = 0.125	0.68	15.00	10.13
150.00	1/2 x 0.50 x 0.50 = 0.125	0.68	15.00	10.13
165.00	1/2 x 0.50 x 0.50 = 0.125	0.68	15.00	10.13
180.00	1/2 x 0.50 x 0.50 = 0.125	0.68	15.00	10.13
195.00	1/2 x 0.50 x 0.50 = 0.125	0.68	15.00	10.13
210.00	1/2 x 0.50 x 0.50 = 0.125	0.68	15.00	10.13
225.00	1/2 x 0.50 x 0.50 = 0.125	0.68	15.00	10.13
240.00	1/2 x 0.50 x 0.50 = 0.125	0.68	15.00	10.13
255.00	1/2 x 0.50 x 0.50 = 0.125	0.68	15.00	10.13
270.00	1/2 x 0.50 x 0.50 = 0.125	0.68	15.00	10.13

C.P.W.A. 23
 553.3/B

Particulars	Details of Actual Measurement			Contents or area
	No.	H	D	
Levelling Rate → 553.3 / 2 @ 17.80 =	553.3	2	17.80	553.3
Grading Rate → 555.8 / 2 @ 84.90 =	555.8	2	84.90	16976.4
Allocation in jobs & tracks				
At 50% work P/S work				
	1	14.70	1.00	0.25 = 386
	1	6.80	1.00	0.25 = 150
				<u>536</u>
Levelling Rate → 536 @ 187.55 =	536	1	187.55	898.1
Grading Rate → 536 @ 180.55 =	536	1	180.55	967.1
Saves amount of levelling				
and cost 125.46				
Load: 5 Sand: 10 Agg. 40mm				

Normal size of big work policy
 Cost of form work on R/wall
 with 15% Plumb & level 150 mm
 to 300 mm OD per PWD
 Specification.

Rate 9/11 (by same as when)				
No. (2)	2			536
Rate 9/11				
	1	14.70	1.00	1.05 = 1544
	1	14.70	1.00	0.60 = 882
	1	6.10	1.00	1.10 = 672
	1	8.10	0.80	0.60 = 324
				<u>3885</u>
				(2000)

Levelling Rate → 3885 @ 408.20 = 15858
 Grading Rate → 3885 @ 156.00 = 60600
 1944.85 = 74480

CPWA. 23.

(Signature)
 (Circular stamp)

(T)

Recd. ...
Sanctioned & Passed for Rs. 13995/-
Ch. ...
Rs. ...

Particulars	Measurement		Rate	Amount	Remarks
	No.	Unit			
Consumption of ...	88.85	sq ft	167	14837.95	
...				2180	
...				583	

Extra Cost of materials

Sr. Items	Qty	Rate	Amount
1 Cement	88.85 sq ft @ (370-245)	125	11000
2 Sand	1595.5 cu ft @ (1589-300)	1207	19059
3 Agg	30.45 cu ft @ (1589-440)	1149	34987
			<u>66546</u>

Rate / hrs. Sr ① to ⑦

Total Labour Amt	2	28008
Deduct 15% (10%)		3451
C-D + 5% etc		
<u>Net Amt</u>		<u>19557</u>

Total High Rate Amt	125428
Deduct 15% (10%) C-D + 5% etc	18818

Net cost of materials	66546
-----------------------	-------

Rate 15% Labour @ hand	173156
from net Labour Amt	29338

S.A. → 200,000	200,000
Cost already paid → 200,000	
Now to be paid → 1,05,000	
Cost per sq ft for final installment 105,000	

C.P.W.A. 23
Ch. ...
50
10th/10/88

(Forest Department)

Dated Simla-4, the 25th February, 1952.
 No. Ft. 29-241-BB/49. In exercise of the powers conferred by section 2 of the Indian Forest Act (XV of 1927) as applied to Himachal Pradesh, read with the Government of India, Ministry of States Notification No. 146-J dated the 6th December, 1950, the Chief Commissioner, Himachal Pradesh is pleased to declare the provisions of Chapter IV of that Act applicable to all forest lands or waste lands in Himachal Pradesh which are the property of Government or over which the Government have proprietary rights or the whole or any part of the produce of which the Government is entitled as recorded in the Forest Settlements or land revenue settlements or land revenue records of the integrated States, or otherwise, except the following areas:-

1. Rantu, Saliana, Chambi Kupar, Kalala and Tomru of Kotkhai illana and Nagketu of Kotgarh ilaga declared as reserved forests in the Punjab Government Notification No. 175 dated 15th April, 1885;
2. Chamba State Forests declared reserved forests vide Chamba Darbar's Notification No. W-76-43, dated the 10th November, 1943;
3. Sirmur State Forests declared reserved forests in Sirmur Darbar's Notification:-
 - (1) No. 1 dated the 17th Jaith, 1958 Bikrami.
 - (2) No. 2 dated the 23rd Chait, 1991 "
 - (3) No. 14 dated the 17th Sawan, 1990 "
 - (4) No. 38 dated the 27.12.1992. "
 - (5) No. nil dated 1st Chait 1937 "
 - (6) No. nil dated 1st Chait 1947 "
 - (7) No. II. dated 2nd Posh 1949 "
 - (8) No. I dated 17th Jaith 1952 "
 - (9) No. Nil. dated 11th Bhadon 1992. "

2. This notification applies to all lands in old Mandi State containing the growth except such lands as have been excluded in the forest settlement as cultivated or as in the Malguzari of a private person.

By order,

SD/-

C.C.F. and
 Secretary (Forest Deptt.) to the
 Chief Commissioner, H.P. Admn.

No. Ft. 29-241-BB/49 Dated Simla-4, the February, 1952.

Copy forwarded to:-

1. All Deputy Commissioners in Himachal Pradesh,
2. All Conservators of Forests, in Himachal Pradesh.
3. All Divisional Forest Officers in Himachal Pradesh, for information.
4. The Manager, Government of India Press, Simla for favour of publication in Part III Section 3 of Government of India Gazette.

ATTESTED.

SD/-

Chief Conservator of Forests
 Himachal Pradesh, Simla.

SD/- C.C.F. &
 Secretary (Forest Department) to the
 Chief Commissioner, H.P. Admn.

Encroachment file

Readable copy collected

Search

Cited by 1658 docs - [View All]

The Manager vs The Sub-Divisional Magistrate ... on 28 April, 2008

Ind Barath Powergencom Ltd vs The Revenue Divisional ... on 4 August, 2011

M/S Amalgam Steel And Power Ltd. ... vs State Of Jharkhand on 26 March, 2021

Ram Kishore And 3 Ors vs Additional Session Judge, ... on 28 September, 2014

Metro Life Line Hospital vs Sub Divisional Magistrate on 10 December, 2015

[\[Complete Act\]](#)

Try out our Premium Member services: *Virtual Legal Assistant, Query Alert Service and an ad-free experience* Free for one month and pay only if you like it.

User Queries
nuisance
public place
animal

Central Government Act

Section 133 in The Code Of Criminal Procedure, 1973

133. Conditional order for removal of nuisance.

(1) Whenever a District Magistrate or a Sub-divisional Magistrate or any other Executive Magistrate specially empowered in this behalf by the State Government, on receiving the report of a police officer or other information and on taking such evidence (if any) as he thinks fit, considers-

(a) that any unlawful obstruction or nuisance should be removed from any public place or from any way, river or channel which is or may be lawfully used by the public; or

(b) that the conduct of any trade or occupation, or the keeping of any goods or merchandise, is injurious to the health or physical comfort of the community, and that in consequence such trade or occupation should be prohibited or regulated or such goods or merchandise should be removed or the keeping thereof regulated; or

(c) that the construction of any building, or, the disposal of any substance, as is likely to occasion conflagration or explosion, should be prevented or stopped; or

(d) that any building, tent or structure, or any tree is in such a condition that it is likely to fall and thereby cause injury to persons living or carrying on business in the neighbourhood or passing by, and that in consequence the removal, repair or support of such building, tent or structure, or the removal or support of such tree, is necessary; or

(e) that any tank, well or excavation adjacent to any such way or public place should be fenced in such manner as to prevent danger arising to the public; or

(f) that any dangerous animal should be destroyed, confined or otherwise disposed of, such Magistrate may make a conditional order requiring the person causing such obstruction or nuisance, or carrying on such trade or occupa-

tion, or keeping any such goods or merchandise, or owning, possessing or controlling such building, tent, structure, substance, tank, well or excavation, or owning or possessing such animal or tree, within a time to be fixed in the order-

(i) to remove such obstruction or nuisance; or

(ii) to desist from carrying on, or to remove or regulate in such manner as may be directed, such trade or occupation, or to remove such goods or merchandise, or to regulate the keeping thereof in such manner as may be directed; or

(iii) to prevent or stop the construction of such building, or to alter the disposal of such substance; or

(iv) to remove, repair or support such building, tent or structure, or to remove or support such trees; or

(v) to fence such tank, well or excavation; or

शुंती देवी w/o श्री सुरेन्द्र सिंह बिवासी गांव - बाबापु
 सं. - सक लहो व जिला - चम्बा हि.प्र. यह ध्यान करती
 है कि NH 154 A से गांव बाबापु की तरफ बने पुनर्का
 रास्ता के निर्माण में मेंनें खुद भी समदल किया है
 व यह कार्य 2018-20 से कना शुरू हुआ व इस
 कार्य में मेंनें सिली दिखि लगि है वुके याद
 नहि है। लेकिन में वन विभाग द्वारा कि जो रास्ते
 रास्ता बन्द करैनी कार्यवाही नही होनें दुगी
 क्योकि यह रास्ता हमारे गांव तक Ambulance
 आने जाने हेतु बनाया गया था जो कि अति
 आवश्यक है।

दिनांक - 02-09-2023

शुंती देवी
 शुंती देवी w/o
 सुरेन्द्र सिंह बिवासी गांव
 सं. सक लहो व जिला चम्बा

शुभना देवी w/o नरेश राज निवासी गांव - बाधण, पो. सरु
 तह. व. जिला - चम्बा (हि.प्र.) यह व्यक्त करती हूँ कि NH 154A
 से गांव बाधण की तरफ बने पक्का रास्ता के निर्माण में
 मैंने खुद भी कामदान किया है व यह लोक कार्य 2018-20
 से बनना शुरू हुआ था इससे मैंने किसी दिक्कत लगाई
 है मुझे याद नहीं है लेकिन मैं वन विभाग द्वारा कि
 जा रही रास्ता बन्द करने की कार्यवाही
 नहीं होने दुःखी क्योंकि यह रास्ता का निर्माण
 हमने Ambulance के साथे जाने हेतु किया
 गया था जो कि आति आवश्यक है

दिनांक: 02-09-2022

शुभना
 शुभना देवी w/o
 नरेश राज गांव बाधण
 पो. सरु तह. व. जिला
 चम्बा (हि.प्र.)

मैं मुनी देवी जी की पत्नी ~~सुनी~~ जी चर्न सिंह गाँव
 वागपु बा. सरु तखील व जिला-बा.वा. सिद्ध में किना
 सिदी इलाक में व पूरे क्षेत्र में यह ध्यान करती हूँ कि
 मैं किमार्ग द्वारा लाई जा रही है। यह सा विशेष करती
 हूँ व इस संकट को कि मुख्य मार्ग से गाँव वागपु लु
 वर्ष 2018-19 में बनाई गई सड़क में लगभग 1.5 कि.मी.
 माह तक सहायन बिना है। इस गाँव में यदि कोई
 व्यक्ति बिमार लग है तो गाँव वाले अपनी निजी गाड़ी
 या Ambulance को उपयोग करते हैं व बिना किसी
 इलाक करवाते हैं। अतः इस संकट
 का हल गाँव में बिना किसी बाधना के अवश्य ही लाइ जा
 का विशेष करती हूँ।

दिनांक :- 02-09-2022.

मुनी देवी
 मुनी देवी पत्नी श्री चर्न सिंह
 9816823381 (पिंकी देवी)

मैं पिंपी देवी पुनी ली ली सिंह स्थानिय ग्राम वासी वागवु डांसर
 नं० ५ पिंपी देवी पुनी ली ली सिंह स्थानिय ग्राम वासी वागवु डांसर
 का कार्य का निमित्त वर्ष २०१८-१९ में किया गया जिसमें मैं काफी देन समदान
 दिया है परन्तु मुझे थापनदी के का मैं जिस देन समदान दिया है
 लगभग दो सौ नम मदन लगान दिया है मैं इस रोज का सराफा का
 पाना मैं रूम पसा न देखा है अब मैं यह क्या करना है
 क्या मैं नर. साइ इत्यादि लगान नही दूँ मैं माया साहें मुझे पर
 का मैं व्यापवारी कर। मुझे मजूर है जो मैं पिंपी देवी
 देवा का दर लोकार का रकी है।

दिनांक 02/09/2022

पिंपी देवी
 पिंपी देवी नं० ५ ली ली ली सिंह
 स्थानिय ग्राम वासी वागवु डांसर
 नं० ५ पिंपी देवी पुनी ली ली सिंह

हल्दी व्याज

मैं सुमन कुमारी पत्नी श्री कुलदीप सिंह गांव बागपु
 एक सड़क तहसील वजिवा बागपु तहसील यह व्याज करीब है
 Main Road NH 154A से गांव बागपु तक बनाई गई सड़क
 से मैंने लगभग एक प्रचौर तक सुदूर तक किया है। इस सड़क का
 गांववासियों के लिए काफी फायदा है। इस सड़क का निर्माण उर्वर
 साहू पहले हुआ है। आज 2 दिसंबर 2022 को वन विभाग
 इस सड़क से बंद करने मात्र 1 मीटर छोड़कर तार बांड लगाना
 चाहते हैं जिससे मैं विशेष करती हूँ और न ही मैं सड़क पर
 तार बांड लगाने दूंगी। क्योंकि जब कभी भी छोटे गांव में कोई
 भी आगर होता है या किसी की सहाय्य होती है तो Ambulance आदि
 इस सड़क का निर्माण उपयोग करते हैं। जो कि काफी फायदापूर्ण
 है। मैं बिना किसी दबाव के इस सड़क के ऊपर तार बांड
 विशेष में हस्तक्षेप करती हूँ।
 सुमनकुमारी

दिनांक:- 02-09-2022

सुमन कुमारी पत्नी श्री कुलदीप सिंह
 8219336440

राजेश सुरी पुत्री मदन लाल सुरी निवासी गांव अड्डा सुराडा
 जिला पन्ना उर्फ हारा हारा में यह खान कम्पाई कि नमूना
 वाब बाघपु की तरफ बने पन्ना रास्ता के विभाग में
 खुद की निम्नान किया है व यह जो कार्य 2018-20
 बनाना शुरू हुआ इसके भी तबने दिहाई लगाई लकी
 यह लकिन में विभागा हारा के जा रही रास्ता बने
 कार्य की कार्यवाही मही होने लगा। अतः विभाग की तरफ जो भी
 कार्यवाही होती है उसके लिए तैयार हों।

दिनांक 2/9/2022


 राजेश सुरी पुत्री
 मदन लाल सुरी अड्डा
 सुराडा जिला पन्ना
 तै.सं. 9418106068

श्री रेखा देवी पत्नी श्री लुक्मणी सिंह गाँव वागवू डा० जय लक्ष्मी
 निवासी हैं। मैं पूरे क्षेत्र खास में यह
 ध्यान करती हूँ कि गाँव का मुख्य शोध के गाँव वागवू तक को सड़क में
 एक महीने तक प्रदान किया है हमारे गाँव में Ambulance जहाँ पहुँचाने
 के लिए सड़क नहीं थी यदि गाँव में कोई बिराह हो जाता है तो उसे
 पीह पर या पालकी में उठाकर ले जाना पड़ता है इसलिए हम सब गाँव
 वालों ने मिलकर शोध का निर्माण किया दिने में एक महीने तक
 प्रदान किया। उनका विभाग (वन विभाग) अन्य विभागों के साथ
 मिलकर इस सड़क पर तार-वाड़ लगाना चाहता है। जिसका मैं
 विरोध करती हूँ और मैं यहाँ पर तार वाड़ नहीं लगाने दूंगी।
 किताब चाहे मुझ पर कुछ भी कार्य नहीं है मैं यह पर इस सड़क
 में रुक नहीं होने दूंगी। इसका कद के विरोध में मैं दखल
 करती हूँ दिनांक - 02-09-2022

रेखा देवी
 8616939831
 (कृषि)

श्री पूजा कुमारी पुरी जी गजेन्द्र सिंह गांव हाम्पु हा. रफ
 के पास अपने छोटा खेत न बिना किसी हानि के खान
 के लिए जो रास्ता NH 154A के अर्थ जो सभी वाद्ययंत्र के
 लिए बना है उसमें अनेक लकड़ों से अनेक लकड़ों का
 है जो किन लकड़ों काद नहीं की किले दिन कार्य किया
 अपना रुक पर्येना बताया है आज दिनांक 2-9-2022 को
 पश्चिम दिशा में दोरु लार खेतों लगे रहे हैं श्री. उनकी
 लकड़ों से ही लकड़ों का है बिना जो भी कार्यवाही करे
 इसके लिए लकड़ों

पूजा
 पूजा का गजेन्द्र सिंह

श्री अमर सिंह ब्रह्म जी जन्मो यत्र गांव बागणु डा.
 सरु तहसील व जिला चम्बा हि ७० पूरे क्षेत्र में व बिना किसी
 धराबन्धे यह क्या कर रहा है कि मुख्य मार्ग एन १५४ से
 गांव बागणु तक सड़क का निर्माण हुआ है जो कि वर्ष - २०१४-१९
 में बनाया गया। जिसमें मैंने लगभग १५ दिन तक श्रमदान
 किया है। अब जब विभाग पुष्पान के जप मिलकर इस
 सड़क में तारवाड़ लगाने जा रहे हैं। मैं यहां पर
 इस तारवाड़ लगाने पर शर्तक विरोध कर रहा हूँ क्योंकि
 इस सड़क का इस गांव के लिए आने महत्व है। मैंने
 विभाग यह जो भी कार्यवाही करे। मुझे कोई
 मुद्दामल नहीं है। मैंने बिना किसी हवाब में
 कर रहा है। दिनांक - ०२-०९-२०२२

ए. ए. ए. ए.
 अमर सिंह

8628811552

मैं निर्भया देवी पत्नी श्री राम लाल गांव बागणू डा० सरत
 तहसील व जिंसा तहसील लिपुठ पूरे क्षेत्र खास व बिना किसी
 दयाव के यह ध्यान करती हूँ कि मुख्य मार्ग सरत 154 A
 से गांव बागणू तक सड़क कार्य का निर्माण वर्ष 2018-19
 में किया गया जिसमें मैंने काफी सहदान किया है मुझे
 याद भी है कि मैंने कितने दिन सहदान किया है फिर भी
 जो सड़क अभी तक नहीं बन पाई है मेरा इस रोड/रास्ते
 का बनाने में खूब परेशान बलबध है। अब मैं यह ध्यान
 करती हूँ कि मैं खेत पर आये हुए विभिन्न किसानों
 को द्वारा इस रास्ते को अपने कर्ज में नहीं करने दूंगी।
 वरन् वाड इत्यादि लोगों को नहीं दूंगी।
 विभाग चाहे मुझे पर जो भी कार्य पारि करें। मुझे मजूर
 होना भी बिना किसी दयाव के हल्काकर कर रही
 है। और गांव बाकी भी परेशानी के देखते हुए व हमें इस रोड का
 निर्माण किया जाये हमें इस रोड के माध्यम से Ambulance
 आदि का आसानी पकड़ने की R.T.O.

महाराष्ट्र सरकार
मुंबई

२०१७
१०/०५/१७

महकमा जंगलात हिमाचल प्रदेश

रिपोर्ट बुक नं० 188 रिपोर्ट No 018778

सरकार बजरिया वन विभागा बनाम ^{केलाशोकी} ^{वल्कीरी चीन}
 पुर्व प्रधान लाल

जात सिपी साकिन तडीलीपरगना उदयपुर

बुध अर्बेय रूप से
 वाद्यपु गांव के पास

जनाबयाली, वन विभाग
 आधुनिकी उदयपुर से करारी मुझी पर ^{कार्यवाही}
 आज मुवरखा 2-9-2022 के Land जे 5 मर ^{कार्यवाही}
 नं 2022

बवक्त दिन जंगल से करारी मुझी को राहत की गई
 कार्यवाही 2019-20 के अन्तर्गत जे लालबीरु के
 और निम्नलिखित मुकसान पाया गया ^{दौरान}
 उदयपुर वोट के वाद्यपु नामक स्थान पर
 मुलजिम नं० ^{अज्ञात} वाद्यपु गांव के पुर्व प्रधान
 द्वारा शस्त्र के निष्कारण हेतु से करारी मुझी
 पर अर्बेय रूप से Land ^{फ्लोर} करारी मुझी
 शतम ^{अपवाधी} अपने पुत्र से

मौका पर गिरफ्तार हुआ। मुवरखा 2-9-सन 2022

कुबोल है। V.F.P = 143750.00
 दफा हस्ताक्षर (Amlex = 500.00)
 से ^{अज्ञात} है। (G.T. 18 = 25875.00)
 Total 170125
 हस्ताक्षर रिपोर्ट कुमिन्दा ^{कुमिन्दा}
^{हस्ताक्षर}

Forest Press Solan ५०६६-२८.१२.०७-२०० Books Dept
 Verified
 Block Forest Officer
 Charred Block

① मुज्जो की वाणी धर्म सिंह ② पंकी की वाणी
 जिला जलियाँ ३- इकबाल नामा मुलजिम जिला जलियाँ ३
 मे/हम व वाणी धर्म सिंह रुबरू गवाहान जेल
 जुम मुदरजा रिपोर्ट नं० १४३ से इकबाल करता है/करते हैं।
 मुझे/हमें को जंगल ०१४५४४ जाए मौसुमा करते हुए/करते
 हथों को ~~...~~ ने गिरफ्तार किया है कि
 मे/हम व वाणी धर्म सिंह ऑफिसर जंघलात के पास बअदास
 मुआवजा बजाए मुकद्दमा फौजदारी के फैसला जुम जेर देफा उत्तर अह ५
 इंडियन ऐक्ट नं० IFA 1927 करवाते के लिए रजा मुन्द गवाहान
 हैं। मुवरखा १२-१-२०२२ ③ अंती देवी वाणी धर्म सिंह

④ मुज्जो की वाणी धर्म सिंह हस्ताक्षर मुलजिम
 जिला जलियाँ ३- इकबाल नामा मुलजिम कलाशो देवी वाणी धर्म सिंह
 मे/हम व वाणी धर्म सिंह जिला जलियाँ ३
 जुम मुदरजा रिपोर्ट नं० १४३ से इकबाल करता है/करते हैं।

⑤ मुज्जो की वाणी धर्म सिंह जिला जलियाँ ३
 जिला जलियाँ ३- इकबाल नामा मुलजिम जिला जलियाँ ३
 मे/हम व वाणी धर्म सिंह जिला जलियाँ ३
 जुम मुदरजा रिपोर्ट नं० १४३ से इकबाल करता है/करते हैं।

अमानतनामा सुपुदंभी माल गिरफ्तार शुदी महकमा जगलात
 आज मुवरखा को गार्ड ने हस्ब जेल माल
 मुतल्लका/ जुम मेरे सुपुदं किया जो बवक्त तल्बी पेश किया जायेगा
 मुलजिम मेरे रुबरू हाजिर था/मुलजिम हाजिर नहीं था।
 तफसील माल

हस्ताक्षर सुपुदंदार गवाह गवाह

No. FFE-B-A(11)-1/2006-III
 Government of Himachal Pradesh
 Department of Forests.

The Pr. Secretary (Forests) to the
 Government of Himachal Pradesh

✓ The Pr. Chief Conservator of Forests (HoPF)
 Himachal Pradesh, Shimla-171001

Dated: Shimla-2, the 2nd, May, 2016

SUBJECT: Cr.M.P.(M) No. 1299/2008-titled Yoginder Singh Vs.
 State of H.P.

Sir,

I am directed to refer to your letter No. 67-
 33/2002(Mgt)Yoginder Singh, dated 26.03.2016 on the subject cited above
 and to say that the matter was taken up with the Revenue Department who
 vide letter Rev.B.E(3)40/2008-II-L, dated 28-04-2016 (copy enclosed
 alongwith copy of proceedings) has conveyed its observation/decision
 reproduced as under:

*"It was decided that in order to comply with the order
 passed by the Hon'ble High Court and to remove the anomaly, in future all
 cases of encroachment detected on UPF's besides RF's & DF's and land
 recorded in ownership of forest department, will be registered under the H.P.
 Public Premises and Lands (Eviction and Rent Recovery) Act, 1971 by the
 Forest Department. The Revenue Department will proceed under section 163 of
 the H.P. Land Revenue Act, 1954, only in cases of land other than DPF's, RF's
 UPF's and land recorded in the name of Forest Department in revenue records.
 The ongoing cases of encroachments on UPF's pending before Revenue Officers
 will continue"*

You are therefore, requested to take further necessary
 action and convey the decision taken to all forest officers exercising powers of
 District Collector under H.P. Public Premises and Lands (Eviction and Rent Recovery)

Yours faithfully,

(D. C. Rana)

Addl. Secretary (Forests) to the
 Government of Himachal Pradesh

Ph No. (O) 0177-2628480

No. CC/ 4261
H.P. Forest Department.

From: -

Divisional Forest Officer
Dalhousie Forest Division
Dalhousie.

To:

The SDM (C)
Chamba, Distt Chamba

Dated Dalhousie, the 14.09.2022

Subject: -

Reg Hon'ble NGT's order dated 07-7-2022 passed on O.A No. 389/2022, titled as Satnam Singh Vs State of H.P.


Sir,

This is with respect to subject cited above, vide Range Officer Dalhousie letter No. 602 Dated 13.09.2022 who intimated that in NGT O.A no. 389/2022, titled as Satnam Vs State of HP vide which Satnam s/o Sh. Barkat Ram Mohalla Julakhdi Distt. Chamba made a complaint against Sanjeev Suri S/o Sh Madan Lal Mohalla Surara Distt. Chamba for unauthorized construction of road at Udaipur. And vide Range Officer Dalhousie letter no. 02.07.2022 Tehsildar Sadar Chamba requested to demarcated the disputed land afresh. Further Naib Tehsildar Chamba Sadar carried out demarcation on 17.08.2022 of land bearing khasra No.1463/1019 {Copy of demarcation report attached as Annexure-I (A to K)}. Further from the perusal of demarcation report it was found that the land bearing Khasra No. 1463/1019 kisam charagah billa drakhtaan is in the ownership of the Himachal Pradesh Sarkar where the Pucca concrete road has been constructed without fulfilling codal formalities. As per record the mentioned land i.e. khasra No. 1463/1019 is not recorded Forest i.e RF, DPF, or UPF or neither covered under approved working plan of Dalhousie Forest Division. However, the land in question bearing khasra Number 1463/1019 falls in the category of waste land and by virtue of H.P. Govt. notification No. Ft-29-241-BB/49 dated 25-02-1952 (Copy Attached as Annexure-II) all waste land are treated as forest land and attracts the provisions of IFA, 1927. From the perusal of panchayat record, it has been found that Panchayat has constructed kachha link road of length 285 mtrs, out of which 65mtrs constructed in private land and 220 mtrs constructed in Govt land bearing khasra No. 1463/1019 and width 3-4 meter in the year 2019-20 for providing communication to the local inhabitants {Copies of Panchayt record attached as Annexure-III (A to T)}. And later on the local inhabitants widened it and made it pucca with cement concrete. The dimension of concreted stretch is 190 mtr and 30 meter is still kacha and the average width is 3-4 meter on Govt land bearing khasra No. 1463/1019. The statements of the local habitants were recorded who admitted that they contributed in form of labour and some money to widen and concreting the said stretch of road {Copies of recorded statements attached as Annexure -IV (A to J)}.

Further vide Range Officer Dalhousie letter no. 548/Dalhousie Dated 02/09/2022 SHO Sadar Chamba was requested to register an FIR against former Panchayat Pradhan Udaipur & local habitants for widening and concreting the road as per provisions contained in IFA 1927. Accordingly the Roznamcha report is entered by police and matter is under investigation (Copy Roznamcha Report attached as Annexure-V). In addition to this the Damage Report No. 018778 has been issued (Attached as Annexure -VI).


Since the land in question bearing Khasra No. 1463/1019 kisam charagah billa drakhtaan is in the ownership of the Himachal Pradesh Sarkar and concrete cemented path has been constructed by the Udaipur panchayat and local inhabitants without fulfilling cordal formalities and tantamount to unauthorized occupation of Govt. land and vide Pr. Secretary (Forests) letter no. FFE-B-A(II)-I/2006-III dated 03.05.2016 (Copy attached as Annexure-VII), the Revenue Department will proceed under land revenue Act 1954.

This is for your information and further necessary action at your end, please.



Divisional Forest Officer
Dalhousie Forest Division
Dalhousie

Google Reference image

Year 2018



Year 2017



Year 2020

